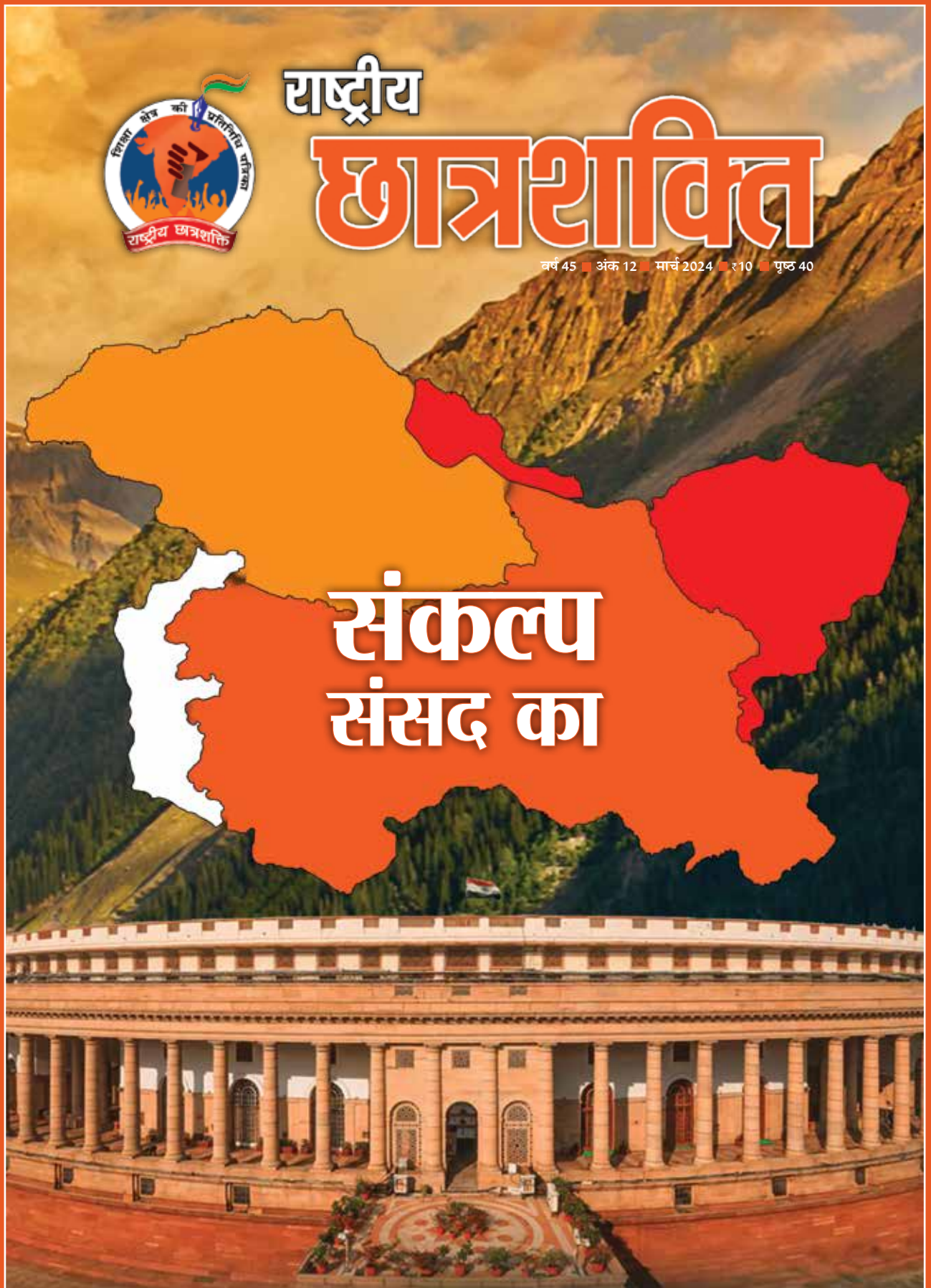

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 45 ■ अंक 12 ■ मार्च 2024 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 40

संकल्प संसद का

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक की झलकियां

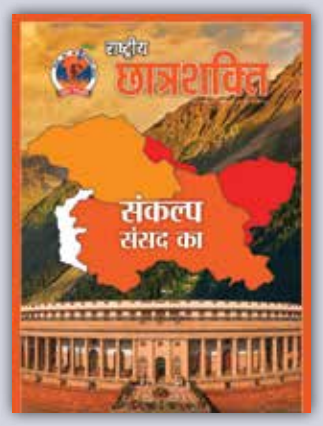

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 45, अंक 12
मार्च 2024

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक-मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05 **संसद संकल्प के तीन दशक**

भारत की संसद ने 22 फरवरी 1994 को एकमत से संकल्प पारित किया था कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का ...

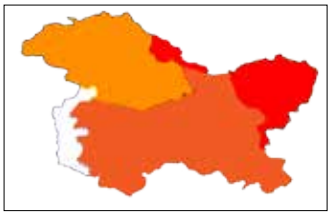

संपादकीय	04
राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद लागू होंगे नए कानून	12
बेलगाम कोचिंग संस्थाओं पर अंकुश लगाएंगे विनियमन के दिशा-निर्देश	14
अभाविप चलाएगी युवा मतदाता जागरूकता अभियान	17
पांच विभूतियों को मिलेगा भारत रत्न सम्मान	18
ISIS-K embarks on its transnational agenda	22
विकासार्थ विद्यार्थी ने किया 'राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद' का आयोजन	24
शैक्षणिक दुरावस्था पर अभाविप ने किया राजभवन का घेराव	25
मदारी सांस्कृतिक महोत्सव में दिखी भारतीय कला-संस्कृति की झलक	26
अभाविप कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई छात्र घायल	27
समान नागरिक संहिता का दूरगामी प्रभाव	28
पुलिस भर्ती परीक्षा की शुचिता को भंग करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई : अभाविप	29
परिसर चलो अभियान शिक्षा के भविष्य का सशक्तिकरण	30
स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित	31
बदहाल शैक्षिक स्थितियों पर छात्र सम्मेलन का आयोजन	32
उत्कृष्ट मेधावियों को अभाविप ने किया सम्मानित	33
डूसू इन कैंपस अभियान से छात्रों की समस्याओं का हुआ समाधान	34
DRAUPADI'S PLIGHT WITHOUT KRISHNA	35
संदेशखाली में हुए महिला उत्पीड़न के विरुद्ध अभाविप ने किया देश भर में विरोध-प्रदर्शन	38

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिक देशों में यह चुनाव का वर्ष है। पहले बांग्लादेश, फिर मालदीव और अब पाकिस्तान। तीनों ही देशों के चुनावों में स्थानीय मुद्दे हावी थे, लेकिन चर्चा के केन्द्र में भारत ही रहा। यह एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत है। बांग्लादेश में चुनाव जहां भारत से मित्रता और विरोध के नारों के बीच हुआ, वहीं चीन भी नेपाल और म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश की ओर पहुंच बना रहा है। चीन के उकसावे पर मालदीव भी भारत-विरोध की नीति पर अड़ा है। पाकिस्तान का तो जन्म ही भारत-विरोध के आधार पर हुआ है। हाल ही में सम्पन्न आम चुनाव में जीते शाहबाज शरीफ ने अपनी नई पारी की शुरुआत ही भारत विरोध से की। कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से करते हुए उन्होंने दोनों की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करने की बात भी कही। स्पष्ट है कि पाकिस्तान अपने शीतयुद्ध के समय के बोझ से उबर कर विकास के मार्ग पर चलने को आज भी तैयार नहीं है।

दूसरी ओर स्वाधीनता के प्रारंभिक दशकों में लादे गए बोझ को भारत ने अपनी नियति मानकर कभी स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि पीड़ित पक्ष होते हुए भी भारत ने अपनी विकास यात्रा जारी रखी और अनुकूल अवसर एवं सक्षम नेतृत्व प्राप्त होते ही उसने नए कीर्तिमान गढ़ने प्रारंभ कर दिए, जिसे देखकर विश्व हतप्रभ है। पाकिस्तान की उपनिवेशकालीन सोच के विपरीत भारत ने अमृतकाल का संकल्प लेकर वैश्विक रंगमंच पर योग्य नेतृत्व का प्रदर्शन किया है।

यही नहीं, स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे कठिन दौर में, जब भारत को अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए रिजर्व बैंक के स्वर्ण भण्डार को गिरवीं रखना पड़ा था, तब भी भारत ने अपनी सीमाओं के साथ समझौता नहीं किया और संसद के दोनों सदनों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जम्मू-कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग होने तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भू-भाग (पीओजेके) को वापस लेने की क्षमता और इच्छाशक्ति होने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था।

इस संकल्प के तीन दशक पूरे हुए हैं तो इसकी चर्चा एक बार फिर प्रारंभ हुई है। वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व पर देश का अटूट विश्वास है। गत वर्षों में राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार ठोस निर्णय लिए गए हैं, उसने आशा जगायी है कि भारत के अधिक्रांत भू-भाग भी फिर से भारत का अंग बनेगें। हाल ही में राजधानी में सम्पन्न विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीओजेके में तिरंगा फहराने की जो गूंज उठी, उसने परिषद कार्यकर्ताओं के मन को स्पर्श किया है। संसद में लिए गए संकल्प के तीन दशक पूरे होने को निमित्त मानकर कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास के इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से जहां चिंतित करने वाली खबरें आ रही हैं, वहीं उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता की पहल संतोष देने वाली है। आगामी लोकसभा चुनावों के पश्चात भी सकारात्मक परिवर्तन की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए अभाविप कार्यकर्ता छात्र-युवाओं के बीच अधिकतम मतदान का संदेश लेकर जाने के लिए सन्नद्ध हैं।

शुभकामना सहित

आपका

संपादक

पाकिस्तान अधिक्रांत लद्दाख क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल
64,817 वर्ग किमी

पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल
13,297 वर्ग किमी

चीन अधिक्रांत लद्दाख क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल
42,735 वर्ग किमी

... लेकर रहेंगे भारत का अधिक्रांत भू-भाग

संसद संकल्प के तीन दशक

| राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम |

भारत की संसद ने 22 फरवरी 1994 को एकमत से संकल्प पारित किया था कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग रहा है और रहेगा तथा शेष भारत से पृथक करने के किसी भी प्रयास का सभी आवश्यक साधनों से विरोध किया जाएगा। भारत की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध हर तरह के षडयंत्रों का प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति और क्षमता भारत में है। भारत की संसद मांग करती है कि पाकिस्तान को भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्र खाली कर देने चाहिए, जिन्हें आक्रमण कर हथिया लिया गया है और यह संकल्प करती है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास का डट कर मुक़ाबला किया जाएगा।

2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार का गठन होने के बाद जम्मू-कश्मीर को लेकर तीन दशक पहले लिए गए संकल्प के प्रति राजनीतिक एवं वैचारिक स्पष्टता दिखाई पड़ती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख पर केन्द्र सरकार की नीति को संसद में स्पष्ट कर चुके हैं। 6 अगस्त 2019 को संसद के माध्यम से उन्होंने विश्व को बता दिया था कि जब वह जम्मू और कश्मीर के विषय में बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू और कश्मीर

एवं अक्साईचिन भी शामिल है और इस क्षेत्र के लिए देशवासी जीवन देने के लिए तैयार हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान से यह प्रश्न कर चुके हैं कि कश्मीर उसके पास कब था? जबकि विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर भी चीन और पाकिस्तान को दो टूक बता चुके हैं कि बेतुके दावे करने से दूसरे का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता है। केंद्रीय मंत्रियों द्वारा पाकिस्तान और चीन अधिक्रान्त जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख पर स्पष्ट की गई भारत की नीति यह संकेत देने के लिए काफी है कि भारत अपने भू-भाग के संकल्प के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इन भू-भागों पर भारतीय संविधान लागू होने का निर्णय, भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संतुलन और भारत के सामर्थ्य पर निर्भर करेगा।

भारत का संकल्प

अखंड भारत समस्त भारतवासियों का अनवरत संकल्प है, यह देशवासियों की श्रृद्धा, राष्ट्रभक्ति एवं विश्वास की एक साधना है। अखंड भारत ही देशवासियों की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता का पर्याय है। काराकोरम से कन्याकुमारी तक की पुण्यभूमि अनादि काल से ही समस्त नागरिकों के मन में आत्मीयता व मूलभूत ऐतिहासिक एकता का प्रतिपादन करती रही है। हमारे पूर्वज ब्रह्मा, ययाति, राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरुनानक ने इस अखंड भारत को एक सूत्र में पिरोया है। परन्तु अनेक कालखंडो में बाह्य शक्तियों द्वारा इस एकता को खंडित करने का प्रयास अनेकों बार किया गया, लेकिन भारत की जीवनधारा के अन्तः प्रवाह में राष्ट्रीय चेतना सदैव ही अखंडता के लिए प्रयत्नशील है। वस्तुतः अपने भूमि, जन और संस्कृति की एकात्मकता की अनुभूति तब तक संभव नहीं है, जब तक सनातन राष्ट्र अपने अखंड स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाता। इतिहास साक्षी है कि अनेकों बार विदेशी आक्रान्ताओं ने भारत को पराधीन करने का प्रयास किया पर हमने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की और हमारा संघर्ष सदैव जारी रहा।

1947 में खंडित हुआ भारत

भारत को खंडित करने का एक प्रयास 15 अगस्त 1947 में भी किया गया। भारत की भूमि, तीर्थ एवं भावना के साथ-साथ लाखों की संख्या में लोगों की हत्या की गई और भारत विभाजन की क्रूर विभीषिका से गुजरा। इतना ही नहीं, भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर के लगभग आधे भाग पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया। इसके बाद भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर लगातार हमला करता रहा। 1947 के पश्चात जम्मू-कश्मीर में अलगाव एवं आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा पोषित रहा। दुर्भाग्य यह है कि तत्कालीन राजनीतिक शक्तियों की जिद, अज्ञानता एवं लापरवाही के कारण अनुच्छेद-35ए एवं धारा-370 स्वयं में ही राजनीतिक एकीकरण एवं सामाजिक न्याय के विरुद्ध जाने वाली राह तैयार करने में सहायक सिद्ध हुई। अलगाववाद एवं आतंकवाद के विरूद्ध राष्ट्रवादी शक्तियां 1947 से ही संघर्ष करती आ रही है। जनसंघ के नेता एवं विचारक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा बुलंद किया था 'एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे।'

अखंड भारत समस्त भारतवासियों का अनवरत संकल्प है, यह देशवासियों की श्रृद्धा, राष्ट्रभक्ति एवं विश्वास की एक साधना है। अखंड भारत ही देशवासियों की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता का पर्याय है। काराकोरम से कन्याकुमारी तक पुण्यभूमि अनादि काल से ही समस्त नागरिकों के मन में आत्मीयता व मूलभूत ऐतिहासिक एकता का प्रतिपादन करती रही है। हमारे पूर्वज ब्रह्मा, ययाति, राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरुनानक ने इस अखंड भारत को एक सूत्र में पिरोया है।

पंडित प्रेम नाथ डोगरा की अगुवाई में प्रजा परिषद के रूप में राष्ट्रवादी आन्दोलन जम्मू-कश्मीर में जब चल रहा था, उस समय प्रदर्शकारियों को खूब यातनाएं दी गईं, जिनकी मांग थी कि भारत का संविधान ही राज्य में लागू हो। डा. मुखर्जी का बलिदान राष्ट्रवादी शक्तियों के लिए प्रेरणा बना, जिसकी परिणति से आतंकवाद, पत्थरबाजी एवं अलगाववाद के विरुद्ध संघर्ष का एक चरण पूर्ण हुआ। परिणाम एक देश-एक निशान-एक विधान-एक प्रधान के रूप में देखा जा सकता है। भविष्य की लड़ाई अधिक्रांत क्षेत्रों की है। भारत का वर्तमान में जो मानचित्र दिखाई देता है, वह अपूर्ण मानचित्र है। यह तभी पूर्ण होगा, जब अधिक्रांत क्षेत्रों का एकीकरण होगा।

जम्मू-कश्मीर में एकात्मता का इतिहास

सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर का इतिहास भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकात्मकता का इतिहास है। ऋग्वेद के अंतर्गत वर्णित सप्त सिन्धु क्षेत्र का यह प्रमुख हिस्सा रहा है। सिन्धु नदी सदैव एक आर्थिक एवं सभ्यता को प्रवाहमान करने वाली नदी रही है, जो आज भी भारतीय मानस में सप्तसिंधु के रूप में विद्यमान है। उत्तरापथ (रेशम मार्ग) गिलगित से होकर गुजरता था और इसी मार्ग के माध्यम से भारतवर्ष विश्व व्यापार से सम्बद्ध था। यह भू-भाग भारत को धन एवं धर्म दोनों ही माध्यम से विश्व से जोड़ता था। समय परिवर्तन के साथ स्थितियों में हुए बदलाव ने जटिलताओं को जन्म दिया। 1947 में देश अंग्रेजों की सत्ता से मुक्त होकर स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम-1947 के अनुसार देशी रियासतों को अपनी भौगोलिक निकटता के आधार पर भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के महाराजा के सामने भी एक राष्ट्र में विलय सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने सम्बन्धी प्रश्न सामने खड़े थे। अंग्रेजी सत्ता लगातार प्रयास कर रही थी कि महाराजा जम्मू-कश्मीर रियासत का विलय पाकिस्तान के साथ करने का ही निर्णय लें। सीमांत क्षेत्रों में अराजकता बढती जा रही थी। 27 सितम्बर 1947 को पहली बार पाकिस्तान की ओर से आक्रमण की तैयारियों का समाचार प्राप्त हुआ। महाराजा हरिसिंह भारत में विलय के पक्ष में थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात पर अड़े थे कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौपे बिना जम्मू-कश्मीर पर किसी प्रकार का राजनीतिक निर्णय संभव नहीं होगा। गतिरोध बना रहा और पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को भारतीय सीमा में घुसने का मौका मिल गया। 15 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के निर्देश पर कबायलियों के भेष में घुसे आक्रमणकारी जम्मू-कश्मीर की ओर बढ़ने लगे। 22 अक्टूबर को उन्होंने मुजफ्फराबाद पर कब्ज़ा कर लिया। स्थितियों की गंभीरता को देखते हुए महाराजा हरिसिंह ने भारत

पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले क्षेत्र

- भारत में अधिमिलन के समय जम्मू-कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था। उस समय जम्मू-कश्मीर रियासत के चार प्रमुख क्षेत्र थे- जम्मू, कश्मीर, लद्दाख एवं गिलगित। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र की लगभग 54.4 प्रतिशत भूमि (1 लाख 21 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र) चीन और पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में है।
- पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के हिस्से में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का मीरपुर-मुजफ्फराबाद शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 13,297 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से इस भाग पर शासन करता है।
- पाकिस्तान अधिक्रांत लद्दाख (पीओटीएल) के क्षेत्र में गिलगित और बल्तिस्तान शामिल हैं। पीओटीएल का कुल क्षेत्रफल लगभग 67,791 वर्ग किलोमीटर है। गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र उत्तर-पूर्व में वर्तमान के चीनी तुर्किस्तान (शिनजियांग) प्रदेश को और पश्चिम में पाकिस्तान के ख़ैबर-पख्तूनख्वा के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है।
- चीन अधिक्रांत लद्दाख (सीओटीएल) में चीन के अवैध नियंत्रण में 42,685 वर्ग किलोमीटर की भूमि है, जिसमें अक्साईचिन, मिनसर, शक्सगाम तथा रक्सम आदि घाटियां सम्मिलित हैं।

सरकार से सहायता करने की मांग बार-बार की। इसी बीच 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक माधवराव गोलवलकर श्रीगुरूजी ने महाराजा हरिसिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात से महाराजा को भारत में अधिमिलन करने का निर्णय लेने में सहायता मिली और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरिसिंह ने अधिमिलन पर हस्ताक्षर कर दिए। यहां उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि जम्मू-कश्मीर के अधिमिलन की प्रक्रिया एवं नियम वही थे, जो भारत की अन्य रियासतों के अधिमिलन के लिए थे। जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ अधिमिलन पूर्ण वैधानिक एवं प्रावधानों के अनुरूप था। लेकिन पाकिस्तान ने छल से भारत के हिस्से पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया। इसी लिए संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान को एक आक्रामक राष्ट्र कहा है।

जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण

महाराजा हरिसिंह के द्वारा अधिमिलन के तुरंत बाद भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची तथा जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों को पाकिस्तान से घुसे आक्रमणकारियों से खाली कराने का काम शुरू कर दिया। सेना अपना काम पूरा कर पाती उससे पहले ही उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया और राज्य का एक बड़ा भू-भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। ब्रिटिश एवं पाकिस्तान की सांठगांठ के कारण गिलगित स्काउट के मेजर ब्रॉउन ने वहां के गवर्नर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। हिंदू और सिख सैन्यकर्मियों का नरसंहार किया और 2 नवम्बर 1947 को मेजर ब्राऊन ने पाकिस्तान का झंडा गिलगित में फहराया। 1948 के अंत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्धबंदी की घोषणा की गई, जिससे गिलगित-बल्तिस्तान पर पाकिस्तान का कब्ज़ा हो गया।

पाकिस्तान ने कराया नरसंहार

26 अक्तूबर 1947 को जम्मू-कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था। मीरपुर इसी जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर बसा एक नगर था। यहां रहने वाले पचीस हजार से अधिक हिन्दुओं एवं सिक्खों को लग रहा था कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया है। इसलिए उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी आक्रांताओं ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर सेना के मुस्लिम सैनिक पाकिस्तानी आक्रांताओं से मिल गए। इसके बाद रात के समय मीरपुर में हुए नरसंहार में हजारों हिन्दू-सिखों की हत्या कर दी गई। बाद में मीरपुर-मुजफ्फराबाद से हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। पाकिस्तानी आक्रांताओं ने 28 अक्टूबर को भिंबर, 3 नवम्बर को मेंधर और 10 नवम्बर को अन्य कई स्थानों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद राजौरी पर हमला करके आधिकारिक रूप से तीस हजार हिंदू-सिक्खों की हत्या कर दी। स्त्रियों-बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। दिल्ली स्थित मीरपुर बलिदान भवन विभाजन से उत्पन्न इसी मानव विस्थापन एवं संहार की कहानी सुनाता है।

मंदिरों एवं गुरुद्वारों पर हमले

हिंदुओं का परम पवित्र स्थल शारदा पीठ, देवी गली, बाणगंगा, रघुनाथ, सीताराम सहित अनेक मंदिर एवं अली बेग स्थित कीर्तनगढ़ गुरुद्वारा, मीरपुर स्थित गुरुद्वारा दमदमा साहिब जैसे पवित्र स्थल पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के कब्जे में चले गए। वर्तमान में अली बेग स्थित कीर्तनगढ़ गुरुद्वारा में पाकिस्तान सरकार द्वारा संचालित याकूब शहीद हाई स्कूल को चलाया जा रहा है। नियंत्रण रेखा से केवल 17 मील दूर किशनगंगा एवं मधुमती नदियों के संगम पर स्थित शारदा पीठ भारतीय सनातन परम्परा में ज्ञान की देवी के अधिष्ठान के रूप में सदैव स्थापित रहा है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक इस शारदापीठ को तो सबसे पहले सिकन्दर बुतशिकन ने खण्डित किया। महाराजा गुलाब सिंह ने इस मन्दिर की देखरेख की व्यवस्था की थी, लेकिन आज यह एक भग्नावशेष है।

हिन्दू-सिख पलायन के लिए हुए बाध्य

पाकिस्तान के आक्रमण से इन क्षेत्रों में रहने वाले हिन्दू-सिख परिवारों को पलायन करना पड़ा। इनमे से अधिकांश के लिए पलायन की यह स्थित दोबारा बनी थी क्योंकि जब पाकिस्तान बन रहा था। उस

ब्रिटिश संसद में संकल्प की गूंज

किसी समय भारत पर शासन करने वाले ब्रिटेन की संसद में जब पाक एवं चीन अधिक्रान्त जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख (पीओजेके) की असलियत को सार्वजनिक किया गया, तो ब्रिटेन के तमाम सांसद मूक दर्शक बनकर भारत के तीरों का सामना करने के लिए बाध्य हो गए। अवसर था भारत के संकल्प प्रस्ताव के तीन दशक पूरा होने का। गत 21 फरवरी को जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र (जेकेएससी) द्वारा एक बार फिर ब्रिटेन की संसद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत द्वारा 22 फरवरी 1994 को संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए संकल्प को पूरा करने के लिए यह स्पष्ट कर दिया गया कि जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारतीय भूमि का अभिन्न अंग है। ब्रिटेन के संसद में आयोजित कार्यक्रम में सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें ब्रिटेन के संसद सदस्य, स्थानीय पार्षद, विभिन्न समुदाय के नेता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और प्रवासी भारतीयों के प्रमुख सदस्य शामिल थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर निवासी प्रो. सज्जाद रजा ने हिस्सा लिया। उन्होंने पीओजेके में हो रहे बुनियादी मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को सामने रखते हुए पाकिस्तान के अवैध कब्जे के विरुद्ध खड़े होने का आग्रह किया। कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने के बाद हो रहे विकास एवं प्रगति की प्रशंसा की गई। ■

समय पंजाब के हिन्दू और सिख जम्मू-कश्मीर के मीरपुर, कोटली आदि निकट के स्थानों पर आ गए थे और जम्मू-कश्मीर का भारत में अधिमिलन हो चुका था। इनकी संख्या लगभग 12 लाख है। पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) से विस्थापित होने वाले लोगों में दो तरह के लोग है। एक वह हैं जो जम्मू-कश्मीर में रहते है, जबकि दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो पलायन के बाद जम्मू-कश्मीर के स्थान पर भारत के अन्य भागों में रहते है। ऐसे परिवारों की संख्या लगभग 5300 है। जम्मू-कश्मीर में रहने वाले पीओजेके विस्थापितों को स्थानीय सरकारों ने बहुत प्रताड़ित किया और उन्हें तमाम मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया।

पाकिस्तान-चीन की जुगलबंदी

मीरपुर-मुजफ्फराबाद एवं गिलगित-बल्तिस्तान आधुनिक विश्व के अंतिम उपनिवेश के रूप में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासन को नियंत्रित करता है। चीन और पाकिस्तान मिलकर सम्पूर्ण गिलगित-बल्तिस्तान, मीरपुर-मुजफ्फराबाद और अक्साईचिन के विस्तृत क्षेत्र का मानवीय एवं आर्थिक दोहन कर रहे हैं। मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र में बहुमूल्य धातुएं एवं पत्थर पाए जाते हैं। यहां का संगमरमर विश्वप्रसिद्ध है। गिलगित-बल्तिस्तान में 1480 सोने की खदानें हैं, जिनमें से 123 सोने की खानों में सोने की गुणवत्ता एवं मात्रा अफ्रीका की खदानों से भी अधिक बताई गई है जो अभी विश्व की सबसे बड़ी सोने की खदानें हैं। लौह अयस्क चिलास एवं गिलगित से प्राप्त होता है। रेशमी सफेद ग्रेनाइट के भंडार भी हेंसल और अन्य स्थानों पर उपलब्ध हैं। गिलगित जिले में यूरेनियम के भी भंडार हैं।

गिलगित-बल्तिस्तान से चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं तजाकिस्तान की सीमाएं मिलने

जम्मू-कश्मीर में बढ़ेगा आरक्षण का दायरा

- **जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक- 2024**

संसद के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक के माध्यम से जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम-1989, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम-2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम-2000 में संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से जम्मू और कश्मीर में पंचायतों और नगरपालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

- **संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक-2024**

इस विधेयक के माध्यम से पहाड़ी जातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर उन्हे सशक्त बनाया जाएगा। बनाना है। इन समुदायों के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से गुज्जर और बकरवाल जैसे मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों को उपलब्ध आरक्षण के वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- **संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक- 2024**

इस विधेयक के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जातियों की सूची में चुरा, बाल्मीकि, भंगी और मेहतर समुदायों के पर्याय के रूप में वाल्मिकी समुदाय को शामिल किया जाएगा। वाल्मिकी समुदाय के समावेश और मान्यता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956 में संशोधन होगा।

- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2023**

इसके माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 90 कर दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए सात सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को विधान सभा में नामित किया जाएगा।

के कारण यह एक अद्वितीय सामरिक महत्व का क्षेत्र भी बन जाता है। सामरिक दृष्टि से गिलगित-बल्तिस्तान मध्य एशिया में भारत के लिए प्रवेश द्वार भी है। पाकिस्तान ने विद्युत एवं जल के लिए चीन की मदद से अनेकों बांध बना लिए हैं और जल संसाधनों का दोहन कर रहा है। मंगला बांध के निर्माण से लगभग 280 गांव एवं मीरपुर-ददियाल नगर सदैव के लिए जलमग्न हो गए और एक लाख दस हजार से अधिक लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा है। इसी प्रकार गिलगित- बल्तिस्तान में दायमर, भाषा एवं अन्य बांधों के द्वारा पर्यावरणीय एवं आर्थिक शोषण किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रशासन का मूल उद्देश्य वहां के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का शोषण करना है। पाकिस्तान, पंजाब एवं उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत की सुन्नी आबादी को गिलगित-बल्तिस्तान में लाकर बसा रहा है। पाक अधिक्रांत जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के लोग पाकिस्तानी सेना एवं आतंकियों के खौफ में जीने के लिए बाध्य हैं। पाकिस्तानी सेना एवं उसके पोषित आतंकियों द्वारा स्थानीय लोगों का अपहरण, हत्या, जेल में डालना, जबरन भूमि पर कब्ज़ा करना आदि सामान्य हो गया हैं। पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में आतंकवादी शिविर संचालित कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आ जाने के कारण भारत की सुरक्षा चुनौती बढ़ जाती है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही तालिबान के साथ अपने सम्बन्ध सुदृढ़ कर रहे हैं।

पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है चीन

पाकिस्तान के संविधान (1956, 1962 और

1973) में कहीं भी 'पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू और कश्मीर' का उल्लेख नहीं है। इस भू-भाग पर पाकिस्तान का कोई वैधानिक या संवैधानिक दावा भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ चीन का गठजोड़ इसी क्षेत्र के कारण है। चीन की उपस्थिति को उसके आर्थिक संसाधनों की मांग और रणनीतिक विस्तार के संदर्भ में समझना होगा, जो दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला तो यह है कि लद्दाख के भू-भाग पर चीन अपना प्रत्यक्ष आधिपत्य बनाए हुए है, जिसमें तीन प्रमुख क्षेत्र अक्साइचिन, शक्सगाम घाटी और मानसर गांव हैं। दूसरा यह कि चीन आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के मध्य बनी सड़कें पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य केन्द्रों को जोड़ती हैं जो भारत के विरुद्ध एक सामरिक पहुंच भी उपलब्ध कराती है। चीन कभी भी भारत का पड़ोसी देश नहीं था, लेकिन तिब्बत पर जबरन नियंत्रण करने के कारण उसकी सीमाएं भारत से आ मिली हैं। इस प्रकार भारत के बड़े भू-भाग पर चीन ने तिब्बत का हिस्सा बताकर अवैध दावा करना शुरू कर दिया। वास्तविकता तो यह है कि ऐतिहासिक रूप से अक्साईचिन भारत के रेशम मार्ग पर स्थित था, जहां से भारत आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से मध्य एशिया से जुड़ा था। शक्सगाम भू-भाग को 1963 में पाकिस्तान ने अवैध तरीके से चीन को एक कथित सीमा समझौते के अंतर्गत दे दिया, जिसका क्षेत्रफल 5180 वर्ग किलोमीटर है। चूंकि चीन अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, इसीलिए दोनों क्षेत्रों में चीनी श्रमिकों के साथ ही बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को तैनात किया गया है। इस प्रकार चीन भारत की अन्य सीमाओं के साथ इस क्षेत्र पर दोहरे युद्ध मोर्चे की चुनौती दे रहा है, जिसके पीछे चीन-पाकिस्तान की आपसी सांठगांठ है।

अपने भू-भाग को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत

भारत सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि जम्मू और कश्मीर ही भारतीय सभ्यता की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। वह भारत की सांस्कृतिक धरोहर एवं आर्थिक द्वार है। भारत को विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया तभी बनाया जा सकेगा, जब भारत की सीमाएं हिन्दुकुश एवं पामीर के पठार को छूने लगेगीं। एक महाशक्ति के रूप में पहचान बनाने के लिए भारत को अपनी इन प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त करना ही होगा। कारण यह भी है कि यह पूरा क्षेत्र भारतीय सभ्यता की पहचान के लिए आवश्यक है और शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक, समृद्धि एवं ज्ञान का केंद्र रहा है। इसी प्रकार भारत अपनी सभ्यता की पहचान सिन्धु नदी से ग्रहण करता है, जो इस भू-भाग से होकर बहती है।

चीन की पाकिस्तान के साथ प्रगाढ़ मित्रता कभी संभव नहीं होती, यदि गिलगित-बल्तिस्तान भारत का अंग होता है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए अपने जन-धन (मानव और भौतिक संसाधनों) की सुरक्षा करना प्रथम कर्तव्य होता है। पाकिस्तान आक्रांत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निवासी भारतीय हैं। यह अलग विषय है कि गत 75 वर्षों से यह सभी विदेशी शासन के अधीन आकर दोहरे उपनिवेश का दंश झेल रहे हैं। इसलिए इन भू-भाग को दासता से मुक्त कराना आवश्यक है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का केन्द्र भी अधिक्रांत जम्मू और कश्मीर ही है। पिछले तीस वर्षों से भारत आतंक के विरुद्ध अघोषित युद्ध लड़ रहा है। भारत की नई पीढ़ी ही नहीं, देश का एक बड़ा वर्ग यह जानता है कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का बड़ा कारण है।

भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर प्रान्त का पुनर्गठन करके दो नए केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख का निर्माण किया है। अक्टूबर' 2019 में जारी नए मानचित्र में गिलगित-बल्तिस्तान एवं लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश के लेह जिले के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस निर्णय के साथ ही लेह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक बड़ा जिला हो गया है। जम्मू-कश्मीर में 35ए के निर्मूलन एवं धारा-370 के सामान्यीकरण के पश्चात राष्ट्रीय एकीकरण का एक चरण पूरा हो चुका है। अब जम्मू-कश्मीर के अधिक्रांत क्षेत्रों तक भारत का संवैधानिक एवं राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित हो, इसके निमित्त 22 फरवरी 1994 के संकल्प को बार-बार दोहराना ही होगा। ■

संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 पारित

राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद लागू होंगे नए कानून

| अजीत कुमार सिंह |

देश में होने वाली भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में नक़ल, पेपर का लीक होना और अन्य अनुचित साधनों का प्रयोग बड़ी समस्या बन गया है। गत पांच वर्षों के दौरान लगभग 16 राज्यों में पेपर लीक होने के चार दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके कारण सरकारी सेवाओं में जहां भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई है, वहीं शैक्षिक क्षेत्र में आक्रोश पैदा हुआ है। परीक्षाओं में होने वाले व्यवधान के कारण न्यायालय को भी दखल देना पड़ा है। नक़ल, पेपर लीक सहित परीक्षा सम्बन्धी अन्य होने वाली धांधली को कठोरता से रोकने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) भी लम्बे समय से कठोर कानून लागू करने की मांग करती आ रही थी। अंततः केंद्र सरकार ने गत फरवरी माह में हुए संसद के बजट सत्र में सरकारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया सहित अन्य परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024' नामक विधेयक को सदन में रखा, जिसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया।

संसद में पारित 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024' राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अनुमति मिलने के बाद देश में एक ऐसे नए कानून के रूप में लागू होगा, जिसका उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं में होने वाली धांधली, अनियमितताओं एवं पेपर लीक को कठोरता के साथ रोकना है। इसके माध्यम से लोक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाई जाएगी, जिससे युवाओं का ईमानदारीपूर्ण तथा वास्तविक प्रयासों के साथ भविष्य सुरक्षित होगा। साथ ही उन व्यक्तियों, संगठित समूहों अथवा संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से अंकुश लगाया जा सकेगा, जो विभिन्न अनुचित तरीकों में लिप्त होकर लोक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

जानकारी के अनुसार लोक परीक्षा को विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध लोक परीक्षा प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुसूची में पांच लोक परीक्षा प्राधिकरणों क्रमशः संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को शामिल किया गया है। नए कानून के दायरे में इन नामित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों के साथ ही केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग और कर्मचारियों की भर्ती के लिए, उनसे जुड़े तथा अधीनस्थ कार्यालय भी इसके दायरे में होंगे। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से इस अनुसूची में नए प्राधिकरण जोड़ सकेगी।

विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में कई अपराधों को परिभाषित किया गया है। यह किसी भी अनुचित तरीके से लिप्तता को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलीभगत या साजिश पर रोक लगाता है। विधेयक में अनुचित साधनों के अंतर्गत प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी या उसके हिस्से को लीक करना, प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स शीट को बिना अधिकार के अपने कब्जे में लेना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रश्नों का समाधान प्रदान करना, उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग या किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक को अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक किसी भी दस्तावेज़ के साथ होने वाली

छेड़छाड़, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम के साथ होने वाली छेड़छाड़, धोखाधड़ी या आर्थिक लाभ के लिये फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी प्रवेश पत्र या ऑफर लेटर जारी करना आदि को सम्मिलित किया गया है।

विधेयक में सजा सम्बन्धी प्रावधानों के सम्बन्ध में बताया गया है कि सभी अपराध संज्ञेय, गैर-ज़मानती और गैर-समनयोग्य होंगे। संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले की जांच पुलिस करेगी। दोषियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा और ज़मानत का निर्णय मजिस्ट्रेट ही करेगा। अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए तीन से पांच वर्ष का कारावास और दस लाख रुपए तक का जुर्माना की सजा प्रस्तावित की गई है। दोषी यदि जुर्माना देने में विफल रहता है, तो भारतीय न्याय संहिता-2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

सेवा प्रदाताओं के लिए भी विधेयक में सजा का प्रावधान किया गया है। परीक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित किए जा सकेंगे। साथ ही यदि सेवा प्रदाता अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो परीक्षा की आनुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी। इसके अलावा उन पर चार साल तक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगा दी जाएगी। विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में सेवा प्रदाताओं को पुलिस और संबंधित परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा। सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण को कंप्यूटर संसाधन या कोई अन्य सहायता प्रदान करता है। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट न करना अपराध के दायरे में रखा गया है। यदि सेवा प्रदाता स्वयं किसी अपराध में लिप्त होता है, तो परीक्षा प्राधिकारी को इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी।

विधेयक में प्रस्तावित कानून के तहत अपराधों की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी। वैसे यह विधेयक राज्यों द्वारा अपने विवेकाधिकार से इसके अंगीकरण हेतु एक मॉडल मसौदे के रूप में भी कार्य करेगा। इसका उद्देश्य आपराधिक तत्वों को उनकी राज्य-स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं को बाधित करने से रोकने में राज्यों की सहायता करना है। विधेयक में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति गठित करने का प्रावधान भी किया गया है। यह समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही सुव्यवस्थित आईटी सुरक्षा प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए रणनीति बनाने के साथ ही आईटी एवं भौतिक बुनियादी ढांचे के संबंध में राष्ट्रीय सेवा एवं मानक स्तर तैयार करेगी। परीक्षाओं के संचालन में इन मानकों का क्रियान्वयन दक्षता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024' को राष्ट्रपति जल्द ही अपनी अंतिम अनुमति प्रदान कर देंगी, जिससे यह कानून देश में लागू हो सकेगा, जो उन करोड़ों युवाओं को राहत प्रदान करेगा, जो परीक्षा के निरस्त होने का तनाव झेलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' मार्च 2024 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

बेलगाम कोंचिंग संस्थाओं पर अंकुश लगाएंगे विनियमन के दिशा-निर्देश

| अभिषेक रंजन |

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देशभर में फैले कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से लागू करने और विद्यार्थियों के हितों में विचार मंथन के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया है। मंत्रालय का उद्देश्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को कोचिंग संस्थाओं के विनियमन के लिए ऐसे दिशा-निर्देश प्रदान करना है ताकि यह किसी भी अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं या शैक्षणिक सहायता हेतु कोचिंग संस्थाओं का चयन करते समय छात्र का बेहतर मार्गदर्शन और सहायता कर सकें। साथ ही इसके माध्यम से अनियंत्रित कोचिंग संस्थाओं एवं उनके संचालकों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

कोचिंग संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश

कोचिंग संस्थाओं के लिए गत जनवरी माह में जारी दिशा-निर्देश की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार का मानना है कि यह दिशा-निर्देश कोचिंग संस्थाओं के पंजीकरण और विनियमन के लिए रूपरेखा प्रदान करेंगे। इन दिशा-निर्देशों में कोचिंग संस्थाओं के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं का सुझाव, नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा, कोचिंग संस्था को समग्र रूप से सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देना एवं छात्रों का विकास तथा मानसिक कल्याण के लिए कैरियर मार्गदर्शन के साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना आदि शामिल हैं। दिशा-निर्देशों में कोचिंग संस्थाओं को परिभाषित किया है, जिसके अनुसार पचास एवं इससे अधिक संख्या के विद्यार्थी वाले केंद्र कोचिंग संस्थान माने जाएंगे। कोचिंग संस्थाओं को अनिवार्य रुप से पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख भी दिशा-निर्देशों में किया गया है। पंजीकरण की प्रमुख शर्तों में कोचिंग संस्थानों द्वारा रैंक या बेहतर अंक का वादा या गारंटी देकर छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के नामांकन को प्रतिबंधित कर दिया गया।

दिशा-निर्देशों में कोचिंग संस्था द्वारा किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कोचिंग सेंटरों को अब एक वेबसाइट बनानी होगी, जिसमें सभी शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, शैक्षिक अवधि, छात्रावास सुविधाएं (यदि कोई हो), लिया जाना वाला शुल्क, नामांकन के पश्चात् आसान निकास नीति, शुल्क वापसी नीति, केंद्र में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या प्रकाशित करनी होगी। मनमानी फीस और पढ़ाई बीच में छोड़ने पर फीस वापस नहीं करने करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह दिशा-निर्देश, फीस उचित रखने एवं रिफंड नीति को भी अनिवार्य बनाते हैं।

दिशा-निर्देशों में कोचिंग संस्थाओं की स्थापना के लिए बुनियादी आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया है। अब कोचिंग संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा के दौरान प्रत्येक छात्र को कम से कम एक वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित किया जाए, साथ ही कोचिंग संस्था भवनों को अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का भी कड़ाई से पालन करना होगा। यदि कोचिंग संस्थान पंजीकरण के नियमों और शर्तों या सामान्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें जुर्माना भरना होगा और पंजीकरण रद्द करने का जोखिम उठाना होगा। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों की

निरंतर निगरानी, कोचिंग संस्थाओं से जुड़े शिकायत तंत्र और दंड देने के प्रावधान को भी स्पष्ट किया गया है और पहली बार गलती होने पर पचीस हजार रुपए, दूसरी गलती पर एक लाख रुपए और तीसरी गलती पर पंजीकरण रद्द करने और अपील करने आदि की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई। साथ ही इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से कोचिंग सेंटरों के संचालकों को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के सहयोग से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में 'समय-समय पर कार्यशालाएं और संवेदीकरण सत्र' आयोजित करने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा।

इसलिए पड़ी विनियमन की आवश्यकता

कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा की जा रही आत्महत्या सम्बन्धी घटनाओं की बढ़ती संख्या, संस्थानों में आग लगने की घटना, संसाधनों के अभाव के बावजूद संस्थान चलाना, मनमाने तरीके से फीस लेना और शिक्षा देने के तरीके को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे है। कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर न जाने कितने वंचित परिवारों को आर्थिक, मानसिक एवं असफ़लता के बाद शारीरिक क्षति हुई हैं। सामान्य परिवार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के परिजन बड़े-बड़े दावे करने वाले कोचिंग संस्थानों के संजाल में फंसकर फीस चुकाने के नाम पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अपेक्षाओं के बोझ तले बच्चों के सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं अत्यधिक मानसिक दबाव के बीच मिली असफलता की स्थिति में आत्महत्या करने के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता।

बिना किसी नियम-कानून के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर भी किस तरह लापरवाह होते है, वह 15 जून 2023 को उत्तरी दिल्ली स्थित मुखर्जी नगर में हुई एक अप्रिय घटना से सामने भी आया था। इस घटना में चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में चल रहे कोचिंग संस्थाओं में लगी आग से बचने के प्रयास में 61 छात्र घायल हो गए थे। भूतल पर लगी आग से ऊपरी मंजिलों में धुआं भर गया था, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले अधिकांश कोचिंग संस्थान शिक्षा की आड़ में व्यावसायिक हितों को ही प्राथमिकता देते हैं, जहां विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और जिंदगी की परवाह नहीं की जाती है।

कोचिंग माफिया पर भी होगी कार्रवाई

अनियंत्रित तरीके से बढ़ते कोचिंग संस्थाओं को लेकर देश सदैव मुखर रहा है। कोचिंग को एक व्यवसाय की तरह चलाना और इस व्यवसाय को सुनियोजित रूप से चला रहे माफिया तत्वों पर लगाम लगाने के लिए होने वाले विरोध-प्रदर्शन को देश के तमाम हिस्सों में देखा जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) भी कोचिंग केन्द्रों के गंभीर नियमन की आवश्यकता को सामने रखती रही है और सरकार से इस पर लगाम लगाने की मांग लंबे समय से करती आ रही है। साथ ही अभाविप ने 'आनंदमय सार्थक छात्र जीवन अभियान' सरीखे प्रयासों के माध्यम से छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने एवं परिसरों को तनावमुक्त बनाने के विषय को प्रमुखता से उठाया है।

लोकसभा में जालौर (राजस्थान) सांसद देवजी एम. पटेल ने गैर सरकारी विधेयक के रूप में 'निजी कोचिंग केंद्र नियामक बोर्ड विधेयक-2016' को पेश किया था, जिसमें कोचिंग संस्थाओं एवं उससे जुड़े विषयों का नियमन करने के लिए एक बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था। राज्यसभा में सांसद विप्लव ठाकुर ने 2017 में कोटा में हो रही आत्महत्या का उदाहरण देते हुए सरकार से उन कोचिंग संस्थाओं पर कारवाई की मांग की जो बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मेरिट में आने के लिए दबाब बनाते हैं। इसी प्रकार कोचिंग संस्थाओं पर लगाम कसने के लिए 2013 में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी। न्यायालय ने इसे नीतिगत मसला बताते हुए याचिकाकर्ता से शिक्षा मंत्रालय के पास जाने और मंत्रालय से कानून के दायरे में कार्रवाई करने हेतु अपील करने के निर्देश दिए थे। समवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ी जिम्मेदारी राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की है। इसीलिए शिक्षा मंत्रालय ने न्यायमूर्ति रूपनवाल

कमीशन द्वारा गठित जांच समिति के बारह सुझावों पर विचार करने के निर्देश दिए थे, जो विद्यार्थियों में बढ़ रही आत्महत्या को कम करने के सम्बन्ध में थे। मंत्रालय ने 2019-2020 में राज्यों से कठोर कदम उठाने का आग्रह भी किया था।

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की कार्रवाई

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) भी कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर लगातार सक्रिय रहा है। जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सीसीपीए ने कोचिंग संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की, जिसमें भ्रामक विज्ञापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया और नौ पर जुर्माना भी लगाया गया। रिपोर्ट बताती है कि सीसीपीए ने उन मसलों को बेहद गंभीरता से लिया है, जहां कोचिंग संस्थान जानबूझकर सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि और उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की गई फीस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे मामलों में भी कार्रवाई की गई, जिनमें कोचिंग संस्थान द्वारा सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना ही शत-प्रतिशत चयन, शत-प्रतिशत नौकरी की गारंटी और प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में सफलता की गारंटी देने जैसे दावे शामिल थे।

कोचिंग संस्कृति को समाप्त करने का प्रस्ताव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने देश में कोचिंग संस्कृति को समाप्त करने पर बल देते नई दिशा दी है। शिक्षा नीति में कोचिंग संस्कृति की भयावहता को इंगित करते हुए कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति और परिणामस्वरूप आज की कोचिंग संस्कृति विशेष रुप से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बहुत हानि पहुंचा रही है। इससे विद्यार्थी अपना समय सार्थक अधिगम के स्थान पर परीक्षाओं की तैयारी और परीक्षा कोचिंग करने में अत्यधिक खर्च कर रहे है। यह परीक्षाएं विद्यार्थियों को चुनाव के विकल्पों में एक लचीलापन, जोकि भविष्य की व्यक्ति-केन्द्रित शिक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण होगा, देने के स्थान पर उन्हें किसी विशेष धारा में बेहद संकुचित दायरे में ही तैयारी करने के लिए मजबूर करती है। नीति में कहा गया है कि अधिक लचीलेपन, विद्यार्थी के लिए चुनाव के विकल्प और सर्वोत्तम दो प्रयास वाले आकलन जो मुख्य रुप से मुख्य क्षमताओं की ही जांच करते है, सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तत्काल महत्वपूर्ण सुधार के रुप में देखे जाने चाहिए। बोर्ड अपनी परीक्षाओं के लिए अन्य समुचित मॉडल भी विकसित कर सकते हैं। इसके साथ ही उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जानी चाहिए, जिससे इन परीक्षाओं में अवधारणात्मक समझ और ज्ञान को लागू करने की क्षमता की जांच की जा सके। इससे इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकेगा।

शिक्षा नीति आने के बाद केंद्र सरकार ने एड टेक कंपनियों के बारे में भी एक निर्देश जारी किया था, जिसमें नागरिकों को उन भ्रामक प्रचार एवं पढ़ाने के तरीके से सावधान किया गया था, जिसका उद्देश्य महज धन कमाना है। मंत्रालय ने एडटेक कंपनियों के विज्ञापनों पर 'आंख बंद करके भरोसा' नहीं करने और एडटेक कंपनियों द्वारा साझा की गई 'सफलता की कहानियों' की आवश्यक जांच करने की सलाह देते हुए कहा गया कि उनके द्वारा प्रदान की गई सामग्री की गुणवत्ता को सत्यापित कर यह सुनिश्चित करें कि यह पाठ्यक्रम अध्ययन के दायरे के अनुरूप है और आपके बच्चे को आसानी से समझ में आता है।

दिशा-निर्देशों से जगी उम्मीद

कोचिंग संस्थाओं को विनियमित करने के जारी दिशानिर्देशों के कारण देश के आम विद्यार्थियों व उनके परिजनों को राहत मिलेगी, विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों पर अब सरकार की सीधी निगाह होगी। दिशानिर्देश को राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश लागू करते हैं तो विद्यार्थी हित में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण होगा और कोचिंग संस्थाएं भी व्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से चल सकेगी। ■

अभाविप चलाएगी युवा मतदाता जागरूकता अभियान

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की दो-दिवसीय केंद्रीय कार्यसमिति बैठक पुडुचेरी स्थित विवेकानंद सीबीएसई स्कूल में संपन्न हुई। दो दिवसीय बैठक में अभाविप द्वारा देश के सभी राज्यों में संचालित किए जा रहे शैक्षिक अभियानों की संगठनात्मक समीक्षा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए आगामी अभियानों एवं किए गए प्रयासों समेत विभिन्न बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होने के साथ आगामी कार्ययोजना का निर्धारण किया गया। गत 27 एवं 28 फरवरी को आयोजित बैठक में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान सहित सभी राज्यों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों पर संवाद के साथ शिक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलावों, युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों, देश के वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य तथा सामाजिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई ।

अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही ने बताया कि पुडुचेरी की पावन भूमि श्री अरविंद के क्रांतिकारी से योगी के रूप परिवर्तन की साक्षी है। प्रभु श्रीराम समरसता की गारंटी तथा सुशासन के प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से एक नई ऊर्जा का संचार पूरे देश में हुआ है। भारत को नकारने वाली शक्तियां वर्तमान में अप्रासंगिक हो गई हैं। लेकिन देश के शिक्षा क्षेत्र में शीघ्रता से सुधार करने की प्रबल आवश्यकता है। विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु चिंतन कर उसका क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 'परिसर चलो अभियान' के माध्यम से अभाविप कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रही है। कार्यकारिणी बैठक में शिक्षा, कला, खेल, पर्यावरण समेत अन्य समसामयिक विषयों पर चर्चा के उपरांत निहित समस्याओं के समाधान हेतु वृहद एवं प्रभावी योजना बनाई गई है। श्री शाही के अनुसार भारतीय उदात्त मूल्यों ने पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है और इन्हीं मूल्यों पर आगे बढ़ते हुए भारतीय युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए यह ध्यान देना होगा कि भारतीय युवाओं के लिए शीघ्रता से नए अवसरों का सृजन हो।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने बताया कि केंद्रीय कार्यसमिति बैठक में देशभर में वृहद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव में युवा अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें, अभाविप इसके लिए भी देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाएगी। इस अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया जाएगा और लोकतंत्र के पावन पर्व को अधिक

सार्थकता प्रदान करने के लिए विद्यार्थी एवं युवा समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में पश्चिम बंगाल स्थित संदेशखाली में हुई महिला अत्याचार की वीभत्स घटना पर राज्य सरकार की उदासीनता तथा अपराधियों को दिए जा रहे संरक्षण का विरोध करते हुए एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में अभाविप ने संदेशखाली को इक्कीसवीं सदी का नोआखली बनाने के षड्यंत्र की कड़ी निंदा करते हुए सरकार की विफलता तथा छद्म पंथनिरपेक्षता पर प्रश्न उठाते हुए जनमानस को संदेशखाली की महिला विरोधी वीभत्सता के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया गया है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पांच विभूतियों को मिलेगा भारत रत्न सम्मान

| संजय दीक्षित |

स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक साथ पांच विभूतियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्न से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 2024 में भारतरत्न सम्मान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव (मरणोपरांत), पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह (मरणोपरांत), पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर (मरणोपरांत) एवं हरित क्रांति के जनक डा. मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन (मरणोपरांत) को चुना गया है। भारत रत्न सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाली विभूतियों को प्रदान किया जाता है। सम्मान की शुरुआत 1954 में पूर्व राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद ने की थी और अब तक 48 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। पहली बार एक साथ पांच विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर

यह 1967 की बात है। आम चुनाव होने वाले थे। संयुक्त बिहार में आम जनता बदलाव की राह देख रही थी। राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर थी और समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा नए राजनीतिक समीकरण के संकेत दे रहा था। चुनाव परिणाम सामने आया तो कांग्रेस की पराजय हुई। राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, जिससे आम जनता, विशेषकर पिछड़े वर्ग को सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ने का अहसास पहली बार हुआ। राज्य की गैर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बने, तो जननायक के नाम से विख्यात कर्पूरी ठाकुर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उप-मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की यात्रा के दौरान कर्पूरी ठाकुर आम जनता के मध्य "जननायक" बन चुके थे। तत्कालीन समय में पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब सहित अन्य वर्ग के लोगों के मध्य "सादा जीवन और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता" के कारण कर्पूरी ठाकुर की ठोस छवि बन गई। 1967 से 1980 के दशक के दौरान राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। इसका कारण यह रहा कि तत्कालीन समय में कांग्रेस जनता के मध्य भरोसा खो चुकी थी और कांग्रेस से नाराज जनता के सामने विकल्प के रूप में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं था, जिसे वह अपना पूर्ण समर्थन दे सके। ऐसी विषम राजनीतिक परिस्थितियों में कर्पूरी ठाकुर राज्य की राजनीतिक धुरी बने और फिर अपार जनसमर्थन हासिल करके उप-मुख्यमंत्री, मंत्री और दो बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। ब्रिटिश शासन काल में समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव, जिसे अब 'कर्पूरीग्राम' कहा जाता है, में रहने वाले नाई जाति के परिवार में 24 जनवरी 1924 को जन्म लेने वाले कर्पूरी ठाकुर ने गरीब, पिछड़े एवं वंचित वर्ग के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अपनी नीति और नियत के कारण वह सर्व समाज के नेता बन गए। उनके सादा जीवन, सरल स्वभाव, स्पष्ट विचार और अदम्य इच्छा शक्ति ने हर किसी को प्रभावित किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर

को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्न से सम्मानित करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। यह निर्णय उनकी 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले लिया गया। उनका निधन 1988 में हुआ था और अब 36 वर्ष बाद उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। ■

किसान हितों के पुरोधा चौ. चरण सिंह

किसान नेता के रूप में विख्यात पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह देश के उन नेताओं में हैं, जिन्होंने अपनी विशिष्ट कार्यशैली और विशेष दृष्टिकोण के कारण अपनी अलग पहचान बनाई। आर्थिक विकास के लिए कृषि आधारित आर्थिक नीतियों के पक्षधर चौधरी चरण सिंह का आर्थिक दृष्टिकोण गांधीवादी था। उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ जिले के नूरपुर गांव में 23 दिसम्बर1902 को जन्म लेने वाले चौधरी चरण सिंह ने क़ानूनी शिक्षा लेकर 1928 में वकालत शुरू की। जल्द ही उन्होंने वकालत छोड़ दी और फिर अंग्रेजी सत्ता के विरोध में जारी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1947 तक वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। इस दौरान वह कई बार जेल गए, जहां उन्हें अंग्रेजी सत्ता के अत्याचारों का सामना ही करना पड़ा। स्वतंत्रता मिलने के बाद वह किसान हितों के लिए राजनीति में सक्रिय हो गए। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित जमींदारी उन्मूलन विधेयक को उन्होंने तैयार किया था, जो 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, जिससे राज्य में चली आ रही जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। भूमि सम्बन्धी सुधारों की दृष्टि से उन्होंने लेखपाल पद का सृजन किया और 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून भी पारित कराया। कांग्रेस से दूरी होने के बाद उन्होंने 1960 के दशक में भारतीय क्रांति दल नामक राजनीतिक दल का गठन किया, जिसके नेता के रूप में वह दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1977 में हुए आम चुनाव के समय भारतीय क्रांति दल का विलय जनता पार्टी में हो गया। आपातकाल के विरोध में इंदिरा गांधी के विरुद्ध मुहिम चलाने वाले चौधरी चरण सिंह ने बाद में कई छोटे दलों को जोड़कर भारतीय लोकदल नामक पार्टी का गठन किया। यह वह समय भी था, जब गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो मोरार जी देसाई को प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह को गृहमंत्री बनाया गया। मोरारजी से मतभेदों के बाद उन्होंने गृहमंत्री पद से इस्तीफ़ा तो दे दिया, लेकिन बाद में वह उप प्रधानमंत्री बने। राजनीतिक उठापटक के बाद 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस (आई) ने उन्हें समर्थन तो दिया, पर अपने मूल चरित्र को सामने रखते हुए कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया और बहुमत साबित करते समय समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार गिरा दी। 20 अगस्त 1979 को उनकी सरकार गिर गई, लेकिन इससे पहले लाल किले पर प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रध्वज फहराने के कारण उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उनकी मृत्यु के 37 वर्ष बाद केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। ■

कृषि क्रांति के ध्वजवाहक डा. स्वामीनाथन

भारत में हरित क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात डा. मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने भारतीय कृषि को न केवल बदल दिया, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा के साथ ही समृद्धि सुनिश्चित करने में अपना अहम योगदान किया। तमिलनाडु स्थित कुम्भकोणम में 7 अगस्त 1925 को जन्म लेने वाले डा. स्वामीनाथन विश्वविख्यात आनुवांशिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत

की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। हालांकि शिक्षा पूरी करने के बाद वह चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते थे, लेकिन 1942-1943 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल से पैदा हुई स्थितियों को देखकर उनका मन बदल गया। अकाल की विभीषका का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह देश के कृषि क्षेत्र में कार्य करने में जुट गए। देश में कृषि अध्ययन एवं अनुसंधान को उन्होंने आगे बढ़ाया, आनुवंशिकी और प्रजनन में गहनता से कार्य किया। 1966 में उन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब में पैदा होने वाली घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले संकर बीज विकसित किए। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के संकर बीज ग़रीब किसानों के खेतों में लगाए गए, जिससे खाद्यान्न संकट वाले वैश्विक देशों की सूची से निकल कर भारत दो दशक के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। देश के कृषि पुनर्जागरण ने डा. स्वामीनाथन को 'कृषि क्रांति आंदोलन' के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। उन्होंने अपने कार्यों में मुख्य रूप से तीन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया, जिसमें बुनियादी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और समझ को बढ़ावा देना, समावेशी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन एवं प्रारंभ करना और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, नियमों एवं विनियमों को सक्रिय एवं अनुकूलित करना शामिल है। इसके माध्यम से उन्होंने किसानों को सशक्त और संरक्षित किया, साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन का काम भी हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में कृषि अनुसंधान और शिक्षा क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लंदन की रॉयल सोसायटी सहित विश्व की 14 प्रमुख विज्ञान परिषदों ने डा. स्वामीनाथन को अपना मानद सदस्य बनाया और अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधियों से सम्मानित किया। मैग्सेसे पुरस्कार सहित कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले डा. स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण से भी सम्मानित किया। 28 सितम्बर 2023 को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के ध्वजवाहक डा. स्वामीनाथन को केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है।

शुचिता के प्रतीक लालकृष्ण आडवाणी

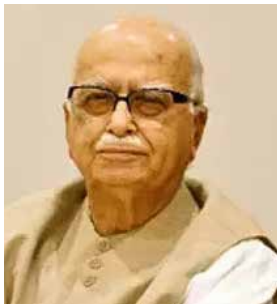

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी राजनीति में शुचिता के प्रतीक हैं।केंद्र सरकार ने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है।97 वर्षीय वरिष्ठ राजनेता आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत के करांची (पाकिस्तान) में हुआ था। करांची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में उनकी शिक्षा हुई। 1942 में गिडूमूल नेशनल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया।मात्र 14 साल की आयु में वह उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने ओर राष्ट्र सेवा में जुट गए। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो श्री आडवाणी भी इस अंतहीन दर्द से अछूते नहीं रहे।लेकिन उन्होंने इस घटना को स्वयं पर कभी हावी नहीं होने दिया और अपने मन-मस्तिष्क में भारत भूमि को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लेकर संघ प्रचारक के रूप में कार्य में लग गए। वह 1947 से 1951 तक राजस्थान के अलवर, भरतपुर, कोटा, बुंदी और झालावाड़ में संघ कार्य करते रहे। 1957 में वह दिल्ली आ गए। 1958 से लेकर 1963 के मध्य दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव का पदभार संभाला। 1960 से 1967 तक वह ऑर्गनाइजर पत्रिका में संवाददाता रहे। 1970 में राज्यसभा सदस्य के रूप में श्री आडवाणी पहली बार संसद पहुंचे। दिसंबर 1972 में उन्हें भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। 1975 में जब आपातकाल लगा तो 26 जून 1975 को बंगलुरु में उन्हें जनसंघ के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और नए राजनीतिक दल जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार में मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक श्री आडवाणी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया।1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और मई 1986 में उन्हें भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री आडवाणी सर्वाधिक समय तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहे। 1990 में राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश लेकर उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या, राम मंदिर रथ यात्रा का नेतृत्व किया। इस रथ यात्रा ने देश को नई दिशा दी। यह श्री आडवाणी का संगठन कौशल ही है, जो भारतीय जनता पार्टी दो लोकसभा सीटों से अपनी यात्रा प्रारंभ करके सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में वह केन्द्रीय गृह मंत्री रहे और जून 2002 से मई 2004 के मध्य देश के उप-प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। 1970 में पहली बार राज्यसभा से संसद में प्रवेश करने वाले श्री आडवाणी 2019 तक कुल दस बार संसद के सदस्य बने।उनका पचास वर्ष से अधिक का राजनीतिक जीवन बेदाग रहा। 1996 में जब उनका नाम हवाला कांड में आया, उस समय बिना देर किए इस्तीफा देकर उन्होंने कहा कि वह दोषमुक्त होने के बाद ही चुनाव लड़ेंगे। उन्हें 1996 में दोषमुक्त पाया गया। निसंदेह, श्री आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देकर राजनीतिक शुचिता का सम्मान किया गया है। ■

प्रखर राष्ट्रभक्त पी. वी. नरसिम्हा राव

22 फरवरी 1994। यह वह दिन था, जब भारतीय संसद में जम्मू-कश्मीर को लेकर एक संकल्प पत्र सर्वसम्मति से पारित हुआ। तत्कालीन समय में देश के प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव थे। संसद में पारित संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जिन क्षेत्रों पर चीन द्वारा 1962 में और पाकिस्तान द्वारा 1947 में कब्जा किया गया था, उन क्षेत्रों को वापस लेकर रहेंगे। संकल्प पत्र में पाकिस्तान को चेतावनी भी दी गई कि वह अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए क्षेत्र को तुरंत खाली कर दे। स्वर्गीय राव के कार्यकाल के दौरान लिए गए इस संकल्प का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के साथ पूरे विश्व को यह सन्देश देना था कि प्रत्येक स्थिति में भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के साथ है। जम्मू-कश्मीर पर संसद में संकल्प पत्र पारित कराने का साहस दिखाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव को प्रखर राष्ट्रभक्त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि स्वतंत्र भारत में ऐसा करने का साहस इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। उनका जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के वारंगल जिले में हुआ था। क़ानूनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका राजनीतिक जीवन 1957 में प्रारंभ हुआ। वह 1977 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 1969 में कांग्रेस में हुए विघटन के बाद उन्होंने कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी के गुट का समर्थन किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभालने वाले स्वर्गीय राव पहली बार 1977 में संसद बने और देश के गृह, रक्षा और विदेश मंत्री का पद संभाला। राजीव गांधी की हत्या के बाद 29 मई 1991 को उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और फिर हुए आम चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, पर 232 सीट हासिल करके वह वह सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। अल्पमत की सरकार का नेतृत्व करने का अवसर स्वर्गीय राव को मिला। पांच वर्षों तक प्रधान मंत्री के रूप में सेवा करने वाले वह पहले ऐसे नेता थे, जो नेहरू-गांधी परिवार से नहीं थे। साथ ही दक्षिणी भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। उनके नेतृत्व में भारत ने उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की। यह वह समय था, जब भुगतान संतुलन संकट के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेने के बाध्य होना पड़ा था। देश में लाइसेंस राज की समाप्त करने वाले स्वर्गीय राव ने बाबरी ढांचे को गिराए जाते समय संयम से काम लिया, जिसका परिणाम अयोध्या में हुए श्रीराम मंदिर निर्माण के रूप में देखा जा सकता है। 23 दिसंबर 2004 को 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य यह रहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मतभेद के कारण उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर नहीं ले जाने दिया गया। कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया था, जिसके कारण कांग्रेस के हजारों नेताओं-कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय के बाहर सड़क पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। ■

ISIS-K EMBARKS ON ITS TRANSNATIONAL AGENDA

| K N Pandita |

The Islamic State-Khorasan (ISIS-K), is a branch of the Islamic State terrorist group which promises to be active in South and Central Asia. Afghanistan is their priority target. This region is mostly inhabited by the people of Aryan race who converted to Islam when the Arabs conquered Iran, Central Asia and India around CE 632 onwards.

The etymology of the word Khorasan is to be found in the Avestic vocabulary in which khor-the sun, aas-coming, aan-suffix. It means the land where from the sun rises. Khorasan has been the eastern province of pre-Islamic Iran then encompassing the present Iranian province of Khorasan, Afghanistan (ancient Aryana) and the Trans-Caspian region of Turan, now called Tajikistan. Central Asia falls in Trans-Oxonian region and farther east is Hindustan. This entire region is not only inhabited by the people of Aryan stock but was also the birth place of Zoroaster (Zardusht-Zarada-ushtara)-to be precise Balkh or Bhakri of Rig Ved.

After Osama bin Laden's liquidation in his hideout near Abbotabad in Pakistan, the fugitive remnants of Al-Qaeda moved to Syria and Iraq region classically known to Greek historians as Mesopotamia. It is this group that conceived the idea of Islamic Caliphate under sharia law extending from the Dardanelles to the Strait of Malacca.

Khorasan branch

ISIS-K is one of its branches which have the agenda of bringing the Islamic Caliphate ideology to the vast Khorasan region, to be called the Islamic Caliphate of Iraq and Syria (ISIS). After spending some time in Syria, the former Al Qaeda activists from Afghanistan and Pakistan returned to Afghanistan with instructions about their agenda in Khorasan region and also funds for the adventure. They conducted numerous high-profile attacks in Afghanistan and Pakistan meant to announce that they were going to be active in the region. Their attacks included a suicide bombing in August 2021 that took the lives of 13 American military personnel and at least 169 Afghan civilians during the withdrawal of the US forces. They were also responsible for twin suicide bombings in 2018 that killed at least 131 at election rallies in Pakistan. The killing of 97 Hazara protestors in downtown Kabul in July 2016 was also claimed by the ISIS-K.

The Khorasan group has also been entrusted with the task of fresh recruitment of fighters from local population. Most of the new recruits are the former dissatisfied fighters and disgruntled Taliban. They have chosen the eastern Afghanistan along the border with Pakistan as their base from where they execute their plans for attacks. The group claims to have fired rockets into the neighbouring countries of eastern Afghanistan, namely Tajikistan and Uzbekistan in January last.

One of the major attacks claimed by the ISIS-K recently was the twin suicide attack in Kerman, the south- eastern city of Iran, on January 3 in which 88 persons were killed and more than 240 wounded. Although a large crowd had assembled in

Kerman for the fourth memorial service of late Qassim Soleimani, the Iranian al-Qods commander killed by a US guided missile somewhere in Iraq.

As of now, the ISIS-K seeks to internationalize its operational and recruitment campaign. It has launched a sweeping propaganda campaign to appeal the audience across the South and Central and South Asia. It wants to position itself as the dominant regional challenge to regimes which according to its thinking are regressive and anti-Islamic ideology. The Kerman blast was allegedly carried out by two Tajik ISIS-K members. Kerman bomb blast was followed by two attacks on the Shahcheragh shrine in Shiraz in October 2022 and August 2023. Tajik suicide bombers are reported to be involved in both of the two attacks.

Tajik factor

Garm area in Gorno Badakhshan and Kolab are the two prominent areas where the Tajik fundamentalists had established their base during the civil war of 1990-1996. The Tajiks based in Garm are reported to be the progeny of the Arab settlers who have been responsible for propagating Sunni ideology of Islam. Though the jihadist movement of Garm was suppressed at the end of the day and normalcy restored, but the diehard elements have been hobnobbing with outside elements. The ISIS-K has picked up Tajik suicide volunteers because they speak Farsi and would work as good operatives in a country where people speak a language of the Tajik activists. Iran is an important target of the ISIS-K on two counts. One is that the regime of Ayatollahs is not supporting the ideology of Islamic Caliphate because it follows its own ideology of Velayaat-e-Faqih meaning the Jurist's Supremacy. The second is the Shia factor towards which the ISIS has no sympathy at all as was the case with the Yazidis. While claiming responsibility for Kerman carnage, the ISIS-K said that the attack was to take the revenge against Soleimani, who spearheaded Iran's fight against the Islamic State group and its affiliates prior to his death.

Cementing force

ISIS-K fighters are reported to be receiving training in Afghanistan in Sheikh Jalaluddin training camp. According to media reports, "In parallel, the group's multilingual propaganda campaign interwove a tapestry of local, regional and global grievances to recruit and mobilize supporters from a vast demographic spectrum, and potentially inspire supporters from afar." This has appeared in the terror grouping partnership; with anti-government and sectarian militant networks in both Afghanistan and Pakistan, collaborating with groups such as the Lashkar-e-Jhangvi and the Islamic Movement of Uzbekistan.

Conclusion

In the background of the situation analysed as above, ISIS-K is now attempting to capture the South and Central Asian militant market. It is utilizing the services of fighters representing regional religious and ethnic populations and publicizing their attacks, ISIS- K, in the words of News-18 analyst, "is signalling its commitment to a comprehensive jihadist agenda." The ISIS-K has India also on its agenda but perhaps, it has a different planning for India where the Pakistan-based terrorists are inching forward with their agenda of indoctrinating the local and regional Islamic youth. Indian security forces are trying to identify the activists who carry out their Caliphate programme under various names to avoid arrest and prosecution. Nevertheless, be it whatever the name, the ISIS-K is steadily spreading its tentacle in the Indian polity. ■

विकासार्थ विद्यार्थी ने किया 'राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद' का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आयाम विकासार्थ विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण चेतना को लेकर नागपुर में 'राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद' का आयोजन किया गया। दो दिवसीय पर्यावरण संसद का आयोजन विकासार्थ विद्यार्थी और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

नागपुर विधानसभा के केन्द्रीय हॉल में गत 10 एवं 11 फरवरी को आयोजित पर्यावरण संसद में भारत राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुकूलता और पर्यावरणीय चिंताओं पर दो सत्रों का संचालन किया गया। दोनों सत्रों

में देश के अनेक विश्वविद्यालयों के 250 विद्यार्थियों और विकासार्थ विद्यार्थी के कार्यकर्ताओं ने पर्यावरणीय विषय पर अपने विचार रखे।

दो दिवसीय पर्यावरण संसद का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डा. वासुदेव देवनानी ने किया। उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की सनातन परम्परा पर्यावरण अनुकूल ही है। हमें वापस अपनी जड़ों की ओर जाने की आवश्यकता है। विकासार्थ विद्यार्थी का यह प्रयास जरूर छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदना उत्पन्न करेगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति जीवन दायिनी है और इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। सभी को मिलकर पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। सभी युवा राष्ट्र के भविष्य की आशा की किरण है। युवा को संकल्प लेकर राष्ट्र को विश्व के पटल पर अग्रणी बनाना है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह विकसित भारत की कल्पना को साकार करें और पर्यावरण का संरक्षण करने में अपना योगदान दें।

पर्यावरण संसद के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऊर्जा के नए साधन पर काम करने से जीवाश्म ईंधन को खत्म करने जैसा महत्वपूर्ण काम आज युवाओं के सामने हैं। विकासार्थ विद्यार्थी यह काम पर्यावरण संसद के माध्यम से कर रहा है, जो सराहनीय है। उन्होंने उपस्थित युवाओं से वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा के बिना आम लोगों का जीवन संभव नहीं होगा। देश के पुनर्निर्माण में तीन चीजें महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में बताई गई हैं- नैतिकता, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी पर्यावरण। इसमें पर्यावरण का मुद्दा बेहद अहम है। इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर भविष्य में रचनात्मक कार्य अवश्य किए जाएंगे। विकासार्थ विद्यार्थी की राष्ट्रीय संयोजक मयूर जवहेरी के अनुसार युवा संसद में देश भर के विश्वविद्यालयों से चयनित होकर आए 213 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

शैक्षणिक दुरावस्था पर अभाविप ने किया राजभवन का घेराव

झारखंड की बदहाल एवं भ्रष्ट शैक्षणिक व्यवस्था के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने राजभवन का घेराव करते हुए धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभाविप ने आरोप लगाया कि राज्य में व्याप्त शैक्षणिक दुराव्यवस्था के कारण विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट पैदा हो गया है। शिक्षा से जुड़ी अनेकों समस्याओं की सरकार लगातार अनदेखी करती आ रही है और राज्य विश्वविद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से धन की उगाही की जा रही है।

रांची स्थित राजभवन के समक्ष गत 19 फरवरी को अभाविप द्वारा आयोजित छात्र हुंकार धरने में राज्य भर से हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। धरने का नेतृत्व अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने किया, जबकि क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, प्रदेश संगठन मंत्री राजीव रंजन, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रोमा तिर्की, जनजातीय कार्य प्रमुख प्रमोद रावत, कार्यकारिणी सदस्य रमेश उरांव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशाल सिंह, राष्ट्रीय प्रादेशिक विवि कार्य सह प्रमुख विनीत पांडे, सह मंत्री शुभम राय, गौतम महतो सहित अभाविप कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

धरने में उपस्थित छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए अभाविप महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए है। राज्य में लूट मची हुई है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति नहीं है और कई जगह तो स्थायी कुलसचिव भी नहीं है। राज्य सरकार ने दावे तो बहुत किए थे, लेकिन उन दावों को पूरा करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से छात्रों का भविष्य अधर में लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रश्न किया कि राज्य में कुलपति की नियुक्ति को क्यों रोक दिया गया? राजभवन को इस सम्बन्ध में श्वेत पत्र जारी कर स्पष्टीकरण देना चाहिए। 2007 के

बाद प्राध्यापकों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। अनेकों महाविद्यालय अस्थायी प्रभारी प्राचार्य के सहारे चलाए जा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय में 686 पद रिक्त हैं और रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 18 अंगीभूत महाविद्यालय में से सिर्फ तीन में स्थायी प्राचार्य हैं। छात्र संघ चुनाव नहीं कराना भी कई प्रश्न पैदा करता है। राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वहां आउटसोर्स के माध्यम से धन की उगाही की जा रही हैं। समय रहते आउटसोर्स को बाहर नहीं किया गया, तो यह शिक्षण व्यवस्था को निगल जाएगा। राज्य सरकार सिर्फ लूट-खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त है और युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है।

धरने में अभाविप राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रोमा तिर्की ने कहा कि राज्य में जनजातीय विद्यार्थियों को राजनीति के नाम पर ठगने का काम किया जा रहा हैं। प्रदेश में जनजाति कल्याण छात्रावास की समुचित व्यवस्था नहीं है। अभाविप के प्रदेश सहमंत्री डब्लू भगत ने कहा कि राज्य की विश्वविद्यालय शिक्षा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। प्रदेश सह मंत्री गौतम महतो ने कहा कि छात्र और शिक्षा विरोधी सरकार को अभाविप जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करती रहेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

मदारी सांस्कृतिक महोत्सव में दिखी भारतीय कला-संस्कृति की झलक

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) तथा राष्ट्रीय कला मंच के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय मदारी सांस्कृतिक महोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। तीन दिवसीय महोत्सव में 45 नुक्कड़ नाटकों के साथ ही आयोजित की गई कला प्रदर्शनियों में 60 कॉलेजों की टीमों ने हिस्सा लिया। सांस्कृतिक महोत्सव मदारी का शुभारंभ गत 13 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में कुलपति प्रो. योगेश सिंह, अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, राष्ट्रीय कला मंच की संयोजिका गुंजन ठाकुर, डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा, छात्र संघ सचिव अपराजिता, छात्र संघ सह-सचिव सचिन बैसला एवं राष्ट्रीय कला मंच दिल्ली प्रांत संयोजक अनुपम तिवारी की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने मदारी के ध्येय वाक्य 'इस मिट्टी में जड़े हैं हमारी' को रेखांकित करते हुए कहा कि मदारी का ध्येय वाक्य हमें अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ने का आह्वान करता है। हमें ऐसे प्रयास को निरंतर बढ़ावा देना चाहिए जो देश प्रेम को बढ़ावा देते है। महोत्सव के विशिष्ट अतिथि अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि विश्व में विख्यात दिल्ली विश्वविद्यालय आन्दोलन तथा रचनात्मकता का केंद्र माना जाता है। यह ऊर्जा, देशभक्ति, संस्कार, गतिशीलता और एक्टिविज्म का केंद्र है। मदारी के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक की परंपरा बहुत पुरानी रही है और नाट्य जीवन का अंग है। नुक्कड़ नाटक ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नुक्कड़ नाटक जनजागरण का सशक्त माध्यम है तथा कुरीतियों को प्रदर्शित करते हुए उसमें बदलाव लाने का बड़ा माध्यम है।

तीन दिवसीय महोत्सव के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से आई नाट्य मंडली के कलाकारों ने अपनी कलात्मक प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों को भावविभोर किया। विद्यार्थियों ने खिचड़ी, ग्राम्या और धरोहर थीम पर आधारित कला प्रदर्शनी लगाकर सभी को अपनी कला से अवगत

कराया। कलाकारों ने पेंटिंग्स, पोस्टर्स, बुकमार्क्स एवं अन्य साज सज्जा के सामानों की प्रदर्शनी लगाकर छात्रों का ध्यान आकृष्ट किया एवं हस्तकला के प्रति जागरूक करने का काम किया। महोत्सव में वीर, श्रृंगार आदि रसों से युक्त काव्य पाठ ने शोभा बढ़ाई और प्रतिभागियों ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सम्मान में कविताएं पढ़ी।

राष्ट्रीय कला मंच के दिल्ली प्रांत संयोजक अनुपम तिवारी के अनुसार मदारी महोत्सव प्रतिभावान प्रतिभागियों की उत्कृष्ट प्रस्तुति से ऊर्जावान रहा। मदारी एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके द्वारा समाज में बढ़ रही समस्याओं का समाधान नाटकों तथा कला प्रदर्शनियों के माध्यम से ढूंढ़ने में सहायता मिलती है। यह एक ऐसा मंच भी है जो छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में यह मदारी का पांचवां संस्करण था, जिसमें नुक्कड़ नाटक में लगभग 45 टीमों ने तथा कला प्रदर्शनी में 60 से अधिक कॉलेजों की टीम ने सहभागिता की। यह आयोजन अपने पिछले संस्करणों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर चुका है और अबकी बार भी मदारी के आयोजन को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्साह देखा गया।

महोत्सव के अंतिम दिन विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। श्रेष्ठ नाट्य प्रदर्शन करने के लिए महाराजा अग्रसेन की नाट्य मंडली 'अभिनय' ने प्रथम, डीसीएसी कॉलेज और कालिंदी कॉलेज की नाट्य मंडली ने संयुक्त रुप से दूसरा तथा अरबिंदो एवं राजधानी की नाट्य मंडली ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय कला मंच के प्रमुख प्रदीप मेहता के अनुसार कलाकारों और कला प्रेमियों को बढ़ावा देने का जो कार्य राष्ट्रीय कला मंच कर रहा है, वह सराहनीय है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मदारी महोत्सव के माध्यम से लोक संस्कृति, परंपरा के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया जा रहा है। खिचड़ी, ग्राम्या और धरोहर विषय पर कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाकर अपनी प्रतिभा से लोगों को अवगत कराया एवं अपनी धरोहर, संस्कृति और मिट्टी से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ऐसे कार्यक्रम हर शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने चाहिए, जिससे लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक मंच मिल सके। महोत्सव के समापन पर अभाविप उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय सह-संगठन मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने कलाकारों की प्रतिभाओं की सराहना करते हुए कहा कि मदारी कला के माध्यम से सामाजिक संदेश एवं समाजिक जागरण करने का काम कर रहा है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

राजस्थान

अभाविप कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई छात्र घायल

राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के कारण कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। धरने पर बैठे कार्यकर्ता स्कूल आफ सोशल साइंस में दुष्कर्म के कथित आरोपित प्रोफेसर को डीन नियुक्त करने का विरोध एवं शिक्षा क्षेत्र से जुडी 11 सूत्री मांगों को लेकर अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। धरना-प्रदर्शन के तीसरे दिन गत 8 फरवरी को पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठी चार्ज किया।

राजस्थान पुलिस द्वारा अभाविप कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठी चार्ज के विरोध में अभाविप जयपुर प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने कहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अभाविप के नेतृत्व में 11 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करना अत्यंत ही निंदनीय तथा छात्रों की मांगों को दमन करने का प्रयास है। पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराना, विश्वविद्यालय प्रशासन की कायरता को दर्शाता है। प्रशासन छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन लाठियों के प्रहार से अभाविप कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। अभाविप इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

समान नागरिक संहिता का दूरगामी प्रभाव

| डा. धर्मेन्द्र शाही |

देवभूमि उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता की राह पर चलने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य विधानसभा ने विधेयक को पारित कर कानून का रूप दे दिया है। समान नागरिक संहिता का अर्थ यह है कि पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी और यह सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने आदि के विषय में लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि (समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद अब) हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम (1937) जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो गए हैं। संवैधानिक रूप से अब सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी।

देश में अभी गोवा एकमात्र राज्य था, जहां समान नागरिक संहिता लागू है। परंतु उत्तराखंड में यह संविधान सम्मत है और इसे देश के सभी राज्यों को लागू करना चाहिए। संविधान सरकार को सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार जैसे विषयों पर एक साथ लेकर चलने का निर्देश देता है, जो किसी भी व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 के अनुसार, राज्य (यानि सरकार) भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

क्या है समान नागरिक संहिता

यद्यपि संविधान में (अनुच्छेद 44 के तहत) समान नागरिक संहिता का निर्माण करना राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है। परंतु अभी तक देश में मुस्लिम, इसाई और पारसी समुदाय का अपना पर्सनल लॉ लागू है। जबकि हिंदू सिविल लॉ, जिसके तहत हिंदू, सिख और जैन आते हैं, आज तक देश में लागू नहीं किया गया है। समान नागरिक संहिता के अनुसार भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे आदि विषयों में एक कानून लागू होगा। यह एक पंथ निरपेक्ष कानून है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।

संविधान सभा में भी हुई थी मांग

यद्यपि आज देश में प्रचारित किया जाता रहा है कि समान नागरिक संहिता की मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ (बाद में भाजपा) या उसके विचारों से जुड़े संगठनों की ओर से की जा रही है। लेकिन सच यह है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप-समिति के एम. आर. मसानी, हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर सहित अधिकतर सदस्यों ने समान नागरिक संहिता को जल्द से जल्द लागू करने का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा की बैठकों में अनुच्छेद-44 पर चर्चा करते समय डा. बी. आर. आंबेडकर ने भी समान नागरिक कानून के पक्ष में बोला था। हंसा मेहता ने भी कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमारी एक नागरिक संहिता हो। संविधान सभा की बैठकों के बाद भी सड़क से लेकर संसद तक में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से समय-समय पर इसकी मांग की जा रही है। यह भी सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ से जुड़े अन्य अनेक संगठन सदा समान नागरिक संहिता के पक्षधर रहे हैं।

व्यापक उद्देश्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 के अंतर्गत आच्छादित समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों और धार्मिक समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। डा. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान तैयार करते समय कहा था कि

समान नागरिक संहिता वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहनी चाहिए। इस प्रकार संविधान के मसौदे के अनुच्छेद-35 को भाग-IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था।

उत्तराखंड की वर्तमान सरकार ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने कानून के विशेषज्ञों, न्यायविदों, राजनीतिक दलों के जन प्रतिनिधियों और सामान्य नागरिकों से विचार-विमर्श कर इसे मूर्त रूप देने का कार्य किया। समिति ने विभिन्न धर्मो, समुदाय एवं जनजातियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उनसे भी सुझाव लिए। राज्य में सभी वर्गों, धर्मों एवं राजनीतिक दलों से संवाद के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया और फिर उचित समय पर इसे कानून का रूप दे दिया गया।

प्रमुख बिंदु

समान नागरिक संहिता को लेकर अभी कई भ्रांतियां हैं। इसलिए इसके प्रमुख बिंदुओं को जानना जरूरी है। इससे नागरिकों की धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक रीति-रिवाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लागू होने से हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। जो कानून हिंदुओं के लिए होगा, वही दूसरों के लिए भी होगा। इसके बाद बिना तलाक या एक से ज्यादा विवाह नहीं किया जा सकेगा। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। शादी का पंजीकरण आवश्यक होगा। महिला के पुनः विवाह में कोई शर्त नहीं होगी। लिव इन सबंधों का पंजीकरण आवश्यक होगा और ऐसा न करने पर छह माह की सजा होगी। लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार होगा। सभी धर्मों में उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। बहु विवाह पर रोक होगी, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती है। अनुसूचित जनजाति इसके दायरे से बाहर होंगे। ■

(लेखक अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।)

उत्तर प्रदेश

पुलिस भर्ती परीक्षा की शुचिता को भंग करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई : अभाविप

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने का आदेश अभ्यर्थियों के हित में बताते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने प्रदेश सरकार से परीक्षा की शुचिता को भंग करने वाले सभी आरोपियों एवं उनके सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अभाविप का कहना है कि छह माह के अंदर पुनः होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों के आवागमन सहित समस्त सुविधाओं का सटीक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश में गत 17 एवं 18 फरवरी को हुई पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार ने तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया। सरकार के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक होने से सरकारी तंत्र पर प्रश्न चिह्न खड़ा हुआ है। इस प्रकरण में परीक्षा एजेंसियों एवं परीक्षा नियंत्रण में लगे लोगों की जांच कराई जानी चाहिए। शासन की शुचितापूर्ण परीक्षा के संकल्पों को तार-तार करने वाले लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है, जिससे आगे की परीक्षाओं में शुचिता एवं पारदर्शिता भंग न होने पाए। अभाविप गोरक्ष प्रांत मंत्री मयंक राय के अनुसार प्रदेश सरकार का भर्ती परीक्षा निरस्त करने का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

परिसर चलो अभियान
शिक्षा के भविष्य का सशक्तिकरण

| याज्ञवल्क्य शुक्ल |

विद्यार्थी की दृष्टि से शैक्षिक परिसर उसके रचने और गढ़े जाने का केंद्र होता है। यह विद्यार्थी के निर्माण का मंदिर भी होता है। अध्ययन और अध्यापन में संवाद की प्रमुख भूमिका होती है और एक शिक्षक गीली मिट्टी की भांति विद्यार्थी को गढ़कर समाज निर्माण हेतु समर्पित करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि गुरु की वाणी, स्पर्श, संगत और अनुपालन द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति होती है।

2019 के बाद कोरोना महामारी के दौरान परिसरों के बंद होने से संवाद की न्यूनता अंकित की गई। संवादहीनता की इस स्थिति से परिसर निर्जीव दिखाई दिए। नवीन विद्यार्थियों को अपने अग्रजों से भी काफी मार्गदर्शन प्राप्त होता था, लेकिन लंबे समय से परिसरों के बंद रहने से यह संवाद और विचारों के आदान-प्रदान की स्थिति में परिवर्तन आया। इसका दुष्प्रभाव यह भी हुआ कि विद्यार्थी अंतर्मुखी होकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने में संकोच करने लगे। ऑनलाइन शिक्षा का चलन बढ़ा तो छात्र की रुचि परिसरों से कम होती चली गई। साथ ही शिक्षा परिसरों में विद्यार्थियों की चिंता, दबाव और तनाव की स्थितियां भी बनी। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से छात्रहितों के लिए सदैव अग्रणी पंक्ति में संघर्षरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) विद्यार्थियों को परिसर का महत्व समझाने एवं पुनः परिसर की तरफ मोड़ने एवं संवाद के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रयासों को गति देने की दिशा में सक्रियता से आगे आया है। राष्ट्रव्यापी सार्थक परिवर्तन के मार्ग में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए विश्व का सबसे बड़े छात्र संगठन अभाविप ने "परिसर चलो अभियान" प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसर में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है।

शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट और समग्र विकास के अवसरों को सीमित होने के संदर्भ में विभिन्न समस्याओं का समाधान लेकर परिसर चलो अभियान अपना सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक तरफ जहां अन्य सभी संगठन कमियां और समस्याओं को गिनाने में व्यस्त रहते हैं, वहीं अभाविप एक मात्र संगठन है जो समस्याओं से समाधान तक वर्ष भर, अनवरत कार्य करता रहता है। शिक्षा पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त व्यावहारिक जगत में भी व्याप्त रूप में है। इस वातावरण में वायु के समान घुली-मिली पाठ्येतर गतिविधियां, कौशल विकास, समग्र कल्याण एवं मानवीय मूल्यों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विविधता में एकता वाली भारतीय संस्कृति में कहावतों द्वारा भी गूढ़ सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासतों का आदान-प्रदान पीढ़ियों से जारी है। यह एक नवजात में मानवीयता के संस्कार भरते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मां बच्चे की पहली गुरु होती है, प्रबुद्धता की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए उसको अपनी सीमाएं फैलाने के लिए विभिन्न परिसरों से जुड़ना पड़ता है। इस अहम प्रक्रिया में अभाविप का प्रयास परिसरों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए अनेकों आयामों में सुनियोजित योजना के तहत चरणबद्ध कार्य करना है, जिससे एक सामान्य विद्यार्थी भी मानवता, पर्यावरण संरक्षण और पोषण, खेल, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य-नाट्य आदि के क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज में सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत खेल, कला, वाद-विवाद, छात्र संघ चुनाव, छात्र संवाद,सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक सेवा परियोजनाओं सहित विविध पाठ्येतर गतिविधियों को

बढ़ावा देना, अभाविप की योजना का एक हिस्सा है। यह गतिविधियां आवश्यक जीवन कौशल विकसित करती हैं और सामूहिकता, पारस्परिकता, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं।

'परिसर चलो अभियान' सकारात्मक संवाद की भावना को दृढ़ करने वाली वह कड़ी भी है, जो वरिष्ठ तथा पूर्व छात्रों एवं वर्तमान तथा सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को विविध शैक्षणिक परिसर के परिवार में नवागंतुक सदस्यों का प्रत्येक क्षण पथ-प्रदर्शन और अपेक्षित सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह संरचना उन्हें एक बहुमूल्य नवीन दृष्टिकोण और प्रोत्साहन देती है, जिससे छात्रों में शैक्षिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने का आत्मबल जाग्रत होता है। यह अभियान समस्त विद्यार्थियों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करते हुए एक समावेशी और वैविध्यपूर्ण वातावरण निर्मिति के प्रति कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार के भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त एक स्वस्थ एवं सुखद परिवेश को प्रोत्साहित करना ही अभाविप का ध्येय है, जिससे अध्ययन-अध्यापन में संलग्न सुधिजनों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही शिक्षा में नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को भी सहर्ष स्वीकार करते हुए नवीन युग के डिजिटल साधनों तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्वव्यापी शैक्षणिक संवाद की सुविधाओं का लाभ लेकर शिक्षा के मूल उद्देश्य को समस्त विद्यार्थियों तक सहज ग्राह्य एवं बोधगम्य बनाना भी है। अभाविप देश भर के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, नीति-निर्माताओं और शिक्षाविदों को इस परिवर्तन के पावन यज्ञ में आहुति देने के लिए आमंत्रित करती है। परस्पर सहयोग के माध्यम से मिलकर एक ऐसे भविष्य को यथार्थ का रूप दिया जा सकता है, विद्यार्थियों के पास उनके विकास की अनंत संभावनाएं विद्यमान हों। इसी दृष्टि से अभाविप का 'परिसर चलो अभियान' उज्ज्वल भविष्य के लिए उठाया गया एक युगांतरकारी कदम है। ■

(लेखक अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री हैं।)

उपलब्धि

स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित

गुजरात स्थित सूरत जिले में तापी काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र (केएपीएस) में लगाए गए दो स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित कर दिए गए हैं। दोनों संयंत्र की क्षमता 700-700 मेगावाट की है और इनके निर्माण में लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह देश में सबसे बड़े स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) हैं। जानकारी के अनुसार यह अपनी तरह के पहले रिएक्टर हैं, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ रिएक्टरों की तुलना में उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त हैं। दोनों रिएक्टर हर वर्ष लगभग 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे, जिसका लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन-दीव जैसे कई राज्यों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी ऊर्जा केन्द्र स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके गुजरात को शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे देश के विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने अब तक लगभग 870 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन किया है, जिससे लगभग 74.8 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के समान उत्सर्जन की कमी दर्ज की गई। सूरत में लगाए गए दोनों स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण परमाणु क्षेत्र में भारत के लगातार बढ़ रहे मजबूत कदम के रूप में देखा जा सकता है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

बदहाल शैक्षिक स्थितियों पर छात्र सम्मेलन का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) पटना महानगर द्वारा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में एक छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पांच जिलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार (2023) विजेता एवं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक शरद विवेक सागर ने हिस्सा लिया, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल के साथ ही प्रांत उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार गुप्ता, दक्षिण बिहार प्रांत के मंत्री नीतीश पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी परिषद सदस्य कुमारी वर्षा राय एवं पटना विभाग संयोजक रोशन शर्मा अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

गत 12 फरवरी को आयोजित छात्र सम्मेलन का प्रारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। उपस्थित अभाविप कार्यकर्ताओं सहित अन्य अथितियों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि शरद विवेक सागर ने कहा कि बिहार के युवा यहां की स्थितियों-परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अधिकतर युवा अपना करियर बिहार के बाहर बनाने पर जोर देते है। इससे एक बिहारी तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन बिहार पीछे रह जाता है। इस विषय पर अब गंभीरता से विचार करना होगा।

सम्मेलन के मुख्य वक्ता एवं अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि बिहार के ऊर्जावान युवाओं में इतना सामर्थ है कि वह अपनी ऊर्जा से राज्य को राष्ट्र के अग्रणी राज्य में शामिल कर सकते हैं। लेकिन युवा वोट बैंक की राजनीति करने वाले जातिवादी नेताओं की राजनीति में फंसकर दिग्भर्मित हो रहे है। अब युवाओं को संवेदनशील बनना पड़ेगा, तभी समग्र विकास संभव हो सकेगा।

सम्मेलन में प्रांत उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अभाविप कदाचार मुक्त परीक्षा की मांग को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन करने वाला एकमात्र संगठन है, जबकि दक्षिण बिहार के प्रांत मंत्री नीतीश पटेल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार जो पूरी दुनिया में शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता था, अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यहां की शिक्षा बदहाल हो चुकी है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। छात्र सम्मेलन में पटना महानगर इकाई का चुनाव भी कराया गया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

ओडिशा

पेपर लीक से आक्रोशित छात्रों ने किया जनशिक्षा मंत्री के आवास का घेराव

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित दसवीं की परीक्षा का पेपर लीक होने के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने ओडिशा प्रदेश के विद्यालय एवं जनशिक्षा मंत्री सुदाम मरांडी के सरकारी आवास का घेराव किया। इस दौरान छात्रों एवं सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प भी हुई। बाद में पुलिस ने 16 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अभाविप ने घोषणा की है कि यदि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की हुई तो अभाविप पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ेगी।

गत 25 फरवरी को हुए घेराव के विषय में ओडिशा प्रात के मंत्री अरिजीत पटनायक ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से दसवीं की परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने अब तक कोई प्रयास नहीं किया है। गत 23 फरवरी को मयूरभंज एवं केन्दुझर जिले में अंग्रेजी की परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया में लीक कर दिया गया। इससे स्पष्ट हो गया है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो किसी भी स्थिति में ग्रहणीय नहीं है। राज्य सरकार ने परीक्षा को एक खिलौना समझ लिया है। इस मामले में विभाग के मंत्री को स्वयं सामने आकर लोगों को जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय मंत्री बुद्धदेव बाग ने आरोप लगाया कि इस मामले में जो दोषी हैं, वह सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है। अभाविप की मांग है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

उत्कृष्ट मेधावियों को अभाविप ने किया सम्मानित

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) गोरखपुर महानगर इकाई द्वारा विभिन्न नगरों में परिसर चलो अभियान के निमित्त आयोजित चित्रकला, मेहंदी तथा क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला मंच विभाग में आयोजित समारोह में अभाविप गोरक्ष प्रांत के स्वावलम्बी भारत अभियान के संयोजक राजकुमार यादव ने कहा कि विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के लिए परिसर एक व्यापक माध्यम है। यहां विद्यार्थी व्यक्तित्व निर्माण संबंधी सभी आयामों को भली-भांति सीखता और समझता है। 'परिसर चलो अभियान' एक जन आंदोलन है और यह अभियान विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्रों के मध्य वर्ष भर चलता रहेगा। अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों की परिसरों के प्रति रुचि बढ़ाई जाएगी। गोरखपुर महानगर मंत्री शुभम राव ने कहा कि विद्यार्थियों के

चौमुखी विकास के लिए परिसर एक व्यापक माध्यम है, जहां विद्यार्थी व्यक्तित्व निर्माण संबंधी सभी आयामों को अच्छी तरह सीखता और समझता है। परिसर चलो अभियान एक जनांदोलन है, इसको दो-चरणों में कक्षा बारह के विद्यार्थियों से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्रों के मध्य चलाया जा रहा है। समारोह में गोरखपुर महानगर उपाध्यक्ष डा. शैलेश कुमार सिंह, महानगर सहमंत्री अमन सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

गगनयान मिशन

स्वदेशी सीई-20 क्रायोजनिक इंजन तैयार, मिशन के लिए चुने गए चार पायलट

अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन चुके भारत ने मानवरहित मिशन के लिए अपना सीई-20 क्रायोजनिक इंजन तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार सीई-20 क्रायोजेनिक इंजन गगनयान मिशन के लिए तैयार है और कई परीक्षणों के बाद इंजन को सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है। इंजन के भूमि योग्यता परीक्षण गत 13 फरवरी को पूरे हो गए और इसकी मानव रेटिंग प्रक्रिया को सफल माना गया है। इसरो के अनुसार इंजन का भूमि योग्यता परीक्षण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसके माध्यम से इंजन को क्रियाप्रणाली, सुरक्षा, सटीकता और विश्वसनीयता के मानक पर परखा जाता है। मानव रेटिंग मानकों के तहत सीई-20 इंजन को अलग-अलग हालात में 39 हॉट फायरिंग टेस्ट्स से गुजरना पड़ा। यह प्रक्रिया 8 हजार 810 सेकंड तक चली। इसरो का लक्ष्य इसी वर्ष गगनयान मिशन को पूरा करने का है। पहले यह मिशन 2022 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका था। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भारत की पहली उड़ान के लिए वायुसेना के चार पायलटों को चुना गया है। वायुसेना से चुने गए इन चार पायलटों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। मिशन के तहत तीन अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा, जो तीन दिन बाद वापस लौटेंगे। तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गत 27 फरवरी को आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो प्रमुख एस. सोमनाथ ने मिशन के लिए चुने गए पायलटों की वर्दी पर सुनहरे पंखों की डिज़ाइन वाला बैज़ लगाते हुए उन्हें 'भारत का सम्मान' बताया। चुने गए पायलट रूस में तेरह माह तक कठिन प्रशिक्षण लेने के बाद अब भारत में भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। आश्चर्य का विषय यह भी है कि 1962 में स्थापित होने वाले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। इससे पहले देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने केंद्र का कभी दौरा नहीं किया था। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

डूसू इन कैंपस अभियान से छात्रों की समस्याओं का हुआ समाधान

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं को जानने एवं उसके समाधान के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभविप) नीत डूसू द्वारा 'डूसू इन कैंपस' अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत तीन समूहों में डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा, सचिव अपराजिता, संयुक्त सचिव सचिन बैसला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी एवं दक्षिणी परिसर के 37 महाविद्यालयों में पहुंचकर पचास हजार से भी अधिक विद्यार्थियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान छात्रों से हुए संवाद में उनकी विभिन्न समस्याएं सामने आईं। क्लास रूम, कैंटीन, शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से अलग-अलग कॉलेजों के प्राचार्यों को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया, जिससे उनका समाधान हुआ।

दिल्ली स्थित हिन्दू महाविद्यालय, हंसराज महाविद्यालय, किरोड़ीमल महाविद्यालय, रामजस महाविद्यालय, शिवाजी महाविद्यालय, राजधानी महाविद्यालय, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, कॉलेज फॉर वोकेशनल स्टडीज सहित 37 महाविद्यालयों में गत 20 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य आयोजित 'डूसू इन कैंपस' अभियान के विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष तुषार डेढ़ा ने बताया कि 'डूसू इन कैंपस' अभियान का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का उनके कॉलेज कैंपस में ही समाधान करने और छात्रों को कैंपस एक्टिविज्म के बारे में भी अवगत कराना था। इस दौरान विभिन्न कॉलेज के छात्रों से संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान कराया गया।

इस सम्बन्ध में छात्रसंघ सचिव अपराजिता ने कहा कि अभियान के माध्यम से महाविद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं की जानकारी हुई। क्लासरूम की जर्जर स्थिति, पुस्तकालयों में पुस्तकों का अभाव, स्वच्छता का अभाव, पिंक टॉयलेट का अभाव, सेनेटरी पैड बेंडिंग मशीन का संचालन न होना जैसी अनेकों समस्यायों का निवारण हुआ है। छात्रसंघ संयुक्त सचिव सचिन बैसला के अनुसार छात्रसंघ का कार्य छात्रों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए होता है। डूसू इन कैंपस अभियान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

असम

प्रदेश स्तरीय जनजातीय छात्र सम्मेलन का आयोजन

असम की जनजातियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने एवं उनके विकास तथा सशक्तिकरण के उद्देश्य से अभाविप असम प्रांत द्वारा 12 फरवरी 2024 को जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर के 400 से अधिक जनजाति छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि कार्बी आंगोलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रांगहांग, अभाविप राष्ट्रीय मंत्री बुद्धदेव बाग एवं प्रदेश मंत्री हेराल्ड मोहन नें संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि तुलीराम रांगहांग ने कहा कि जनजातीय लोगों का अधिकार हिंसा से नहीं अपितु वार्ता से मिलने वाला है। असम के दीफू स्थित सरसिंग टेरोंग लैंगकुंग हाबे मेमोरियल टाउन हॉल में आयोजित जनजातीय सम्मेलन तीन सत्रों में विभाजित था। पहला सत्र-उद्घाटन सत्र था, उसके बाद रॉल मॉडल सत्र का आयोजन किया एवं तीसरे सत्र में असम की विभिन्न जनजातियों के छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जनजातीय प्रतिनिधियों ने इस सत्र में अपनी-अपनी जनजातियों की कला-संस्कृति और असमिया समाज के निर्माण में प्रत्येक जनजाति के योगदान का उल्लेख किया। अभाविप असम प्रांत मंत्री हेराल्ड मोहन ने सम्मेलन के बारे में बताते हुए कहा कि सम्मेलन से पूर्व असम के विभिन्न जनजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सांस्कृतिक शोभा यात्रा भी निकाली गई। उन्होंने बताया कि अभाविप असम प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य जनजातीय सम्मेलन का उद्देश्य असम के जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास करना है। सम्मेलन में अभाविप असम प्रदेश के उपाध्यक्ष मैहुर्सा बोरो, दिमासा फिल्म निर्माता कुलेंद्र दौल्गुपु और असम पुरस्कार से सम्मानित खोरसिंह तेरांग आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

DRAUPADI'S PLIGHT WITHOUT KRISHNA

Utank Banerjee

In the turbulent sea of recent events in West Bengal, particularly the disturbing incidents in Sandeshkhali, a stark reality has emerged – a reality stained with violence, sexual exploitation and a palpable political apathy. Despite the state being led by a woman Chief Minister, Mamata Banerjee, it has regrettably transformed into a fertile ground for violence, especially against women, orchestrated by alleged Islamic Jihadist elements. This harrowing scenario not only demands immediate attention but also prompts a deep reflection on the effectiveness of the constitutional machinery. As the state grapples with insecurity and its citizens endure constant fear, the urgency for intervention echoes louder than ever, evoking the timeless words of Edmund Burke "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." The gravity of the situation necessitates a critical examination of the state's governance and raises pertinent questions about the constitutional backbone, compelling us to consider the invocation of Article 356 – the constitutional imperative in the face of a crumbling democratic order.

DRAUPADI'S PLIGHT WITHOUT KRISHNA

In the complex web of West Bengal's leadership, the fact that Mamata Banerjee, a woman, is at the helm adds to the confusion when we look at the troubling events in Sandeshkhali. It's like having a contradiction – a female leader and distressing stories of harm against women. Under Mamata Banerjee's rule, the state is not only dealing with a reported rise in the influence of alleged Islamic Jihadist elements but also a growing sense of fear and insecurity, especially for women.

In this tough situation, there's no savior like Lord Krishna during Draupadi's Vastraharan, which makes the predicament even more heart-wrenching. The ancient story, where divine help came to the rescue of a violated woman, seems sadly relevant today. The phrase "Draupadi's plight without a Krishna" captures the feeling of victims left without a guiding hand in their time of need.

The leadership in the state, represented by Mamata Banerjee, is at a crossroads, where promises need to turn into actions. As the echoes of Draupadi's suffering echo in the current events of Sandeshkhali, the need for responsible, protective governance becomes clear. The saying "like a ship without a captain" fits the situation well, highlighting the lack of effective leadership to navigate away from the storm of violence and insecurity.

In this critical moment, where cries for justice face a deafening silence, we're reminded of Martin Luther King Jr.'s words: "In the end, we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends." Failing to protect the vulnerable and ensure safety for all is a shared failure, calling for not just a change in leadership but a fundamental shift in the moral direction of those in power. The tale of Draupadi's pain without a Krishna serves as a haunting reminder that, without decisive action, the fabric of societal justice may unravel, leaving victims stranded and unheard.

TMC'S CULTURE OF VIOLENCE

The TMC's engagement in a theatre of violence

and intimidation, vividly showcased in the Sandeshkhali incident, looms as a menacing spectre threatening the safety and well-being of the people. The reported land grabbing, clandestine operations and assaults on political rivals paint a stark picture of a ruling party that seems willing to throw the rule of law under the bus for its own selfish gains. "Wolves in sheep's clothing" aptly characterizes the TMC's facade of governance, revealing a more sinister intent beneath the surface.

POLITICAL EXPLOITATION AND SUPPRESSION

The imposition of Section 144 and the wielding of internet bans, coupled with the arrests and torment inflicted upon protesting women and BJP workers, accentuates the stark reality of political exploitation and the stifling of dissent. Instead of safeguarding citizens' rights, the constitutional machinery appears to be wielded as a tool to suppress opposition, turning the democratic process into a mere puppetry. Its nothing but curtailing freedom of expression.

ISLAMIC JIHADIST INFLUENCE

The unsettling reports of Islamic Jihadist elements contributing to an atmosphere fraught with fear and insecurity demand not just attention but an unwavering response from both state and central authorities. The safety of citizens, especially women, should be sacrosanct, and any failure to tackle this burgeoning issue undermines the very bedrock of democracy. The phrase "sleeping with the enemy" highlights the perilous dance the state might be engaged in, unwittingly harboring influences that compromise the essence of democratic principles.

IMMEDIATE NEED FOR THE PRESIDENT'S RULE IN THE STATE

In the face of West Bengal's spiraling crisis and the apparent breakdown of the constitutional machinery, it is high time to contemplate invoking Article 356. This constitutional safeguard acts as a trump card, empowering the President to wrest control over a state's administration when the very fabric of constitutional order begins to unravel. The current circumstances necessitate the imposition of Article 356 as a strategic move to not only mend the frayed threads of law and order but also to serve as a beacon restoring the safety and well-being of citizens. This imperative action stands as a bulwark, a safeguarding citadel upholding the bedrock principles of democracy in the state. It is to take the bull by the horns as there is a decisive need for direct intervention, ensuring that the reins of power are restored and wielded responsibly to steer the ship of the state away from the storm of chaos.

VISIT OF NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBE

The recent revelations from Sandeshkhali village in North 24 Parganas district of West Bengal add another layer of complexity to the already dire situation. Reports of poor tribal families being denied MNREGA wages for exercising their democratic right to vote against the ruling Trinamool Congress (TMC) administration are deeply troubling. The exploitation and intimidation tactics described by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) paint a grim picture of the systematic abuse of power, with TMC goons allegedly backed by the police in exploiting the vulnerable tribal community. The NCST's findings of police negligence and complicity in protecting the accused further underscore the urgent need for intervention to uphold the rule of law and protect the rights of marginalized communities. Moreover, the accounts of rampant vote rigging and intimidation tactics employed by TMC workers, as revealed by several women, highlight the erosion of democratic principles and the failure of the electoral process to ensure fairness and

transparency. These revelations demand immediate action to restore faith in the democratic process and hold accountable those responsible for perpetrating such egregious acts of injustice and coercion.

THE CALL OF ABVP

In response to the escalating turmoil in Sandeshkhali, ABVP South Bengal has emerged as a vocal advocate for justice and peace in the region. Their organized protest march and submission of a memorandum to the Governor of West Bengal underscore the urgent need to address the pervasive violence against women and the exploitation of common people allegedly supported by fundamentalist forces linked to the Trinamool Congress. Moreover, recent incidents, including resistance faced by ED officials and media representatives during corruption investigations, and the wrongful detention of a Higher Secondary examinee girl by local police, have exposed the grim reality of suppressed truth and governmental inaction. ABVP South Bengal's demands for strong action against perpetrators, immediate arrests, deployment of central paramilitary forces, justice for victims and a CBI investigation are crucial steps toward restoring peace, ensuring accountability and safeguarding the rights of the people of Sandeshkhali. The call for decisive action echoes the collective voice of those seeking justice and stability in the face of adversity.

CHAIRPERSON OF NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN VISITS SANDESHKHALI

The visit of NCW chairperson Rekha Sharma to Sandeshkhali sheds further light on the gravity of the situation, with her statements adding weight to the calls for President's rule in West Bengal. Sharma's firsthand accounts of the alleged sexual assaults and the victims cries for justice underscore the urgent need for decisive action to address the pervasive violence and exploitation in the region. The failure of local authorities to promptly respond to these heinous crimes only amplifies the demand for central intervention to restore law and order and ensure accountability for the perpetrators. The accusations against prominent TMC leaders and their subsequent arrests highlight the deep-rooted corruption and abuse of power plaguing Sandeshkhali, further emphasizing the necessity of impartial investigation and stringent measures to uphold the rights and dignity of the affected individuals.

CONCLUSION

As West Bengal finds itself entangled in a web of violence and political apathy, the situation eerily mirrors Draupadi's plight without a Krishna. Women in Sandeshkhali face a similar vulnerability, left without a protective force to shield them from harm. Mamata Banerjee's leadership, like Draupadi's predicament without Krishna, demands a transformation from mere promises to tangible actions.

The women of Sandeshkhali are akin to Draupadi, their cries for justice echoing in the vast silence of political inaction. In this critical moment, invoking Article 356 emerges as the metaphorical Lord Krishna, the decisive force needed to intervene and rescue the oppressed from the clutches of tyranny. It's the call for a protector, a guiding hand that can steer the state away from the storm of chaos and restore the fabric of societal justice. The time has come to act, to summon the protective spirit of Lord Krishna through the imposition of Article 356 and to save the women of Sandeshkhali from the ordeal akin to Draupadi's plight without a Krishna. Much like Draupadi Murmu, the Hon'ble President of Bharat, who symbolizes strength and justice, it is only through Madam President Draupadi Murmu's intervention that the Helpless Draupadis of Sandeshkhali can find salvation.

संदेशखाली में हुए महिला उत्पीड़न के विरुद्ध अभाविप ने किया देश भर में विरोध-प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल स्थित संदेशखाली में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ किए गए यौन उत्पीड़न तथा अत्याचार के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने देश के कई स्थानों में कैंडल मार्च, पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज कराया और घटना में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

राजधानी **दिल्ली** स्थित श्रीगुरु नानक देव खालसा कॉलेज की अभाविप इकाई ने गत 17 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला। कॉलेज इकाई अध्यक्ष स्पर्श वशिष्ठ ने कहा कि संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा महिलाओं का किया गया शोषण यह दिखाता है कि राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति है? घटना में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। कैंडिल मार्च में अभाविप मंत्री रचित राय सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उधर जवाहलाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अभाविप की **जेएनयू** इकाई ने 'सन्नाटे का शोर : पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा की वास्तविकता' विषय पर एक विमर्श का आयोजन किया। इसमें मुख्य वक्ता अतिथि के रूप में डा. सुकांता मजूमदार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूशन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी' के सहायक प्राध्यापक डा. प्रणव कुमार ने की।

इस मौके पर मुख्य वक्ता सुकांता मजूमदार ने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को अत्यंत बर्बर अत्याचार सहना पड़ रहा है। वहां पर लंबे समय से पीड़ित महिलाएं न्याय के लिए पुलिस प्रशासन को अपनी बात बताने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन प्रशासन भी टीएमसी के साथ मिला होने के कारण महिलाओं को चुप रहने की धमकी दी गई। बंगाल में टीएमसी संदेशखाली में धारा-144 लगा कर बलात्कारी नेताओं को बचाने और पीड़ित परिवारों को धमकाने का काम कर रही है। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के अनुसार राज्य को तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी गुंडों ने जकड़ लिया है। ममता राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देशभर के सेक्यूलर चुप्पी साधे हुए हैं। विमर्श में उपस्थित सभी लोगों ने ममता सरकार की तीखी आलोचना की और न्यायालय से न्याय मिलने का विश्वास व्यक्त किया।

उत्तर प्रदेश स्थित **गोरखपुर** में महानगर इकाई के अभाविप कार्यकर्ताओं ने संदेशखाली में हो रहे महिला विरोधी कुकृत्य के विरुद्ध दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध-प्रदर्शन करते हुए ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। अभाविप गोरक्ष प्रांत मंत्री मयंक राय ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, वहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ममता बनर्जी तुष्टिकरण के नाम पर मौन साधकर बैठी हुई है। गोरखपुर महानगर मंत्री शुभम राव ने कहा कि टीएमसी की विभाजनकारी नीति राज्य के सुनहरे भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। आम जनमानस डरा हुआ है और मानवता को कुचला जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश स्थित **ऊना** में अभाविप कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लघु सचिवालय परिसर के बाहर पुतला फूंका। इस मौके पर अभाविप कार्यकर्ताओं ने संदेशखाली में महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय कृत्यों पर रोक लगाने की मांग की। अभाविप के जिला संयोजक चंदन सेखड़ी ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार सत्ता में होने का गलत फायदा उठा रही है। संदेशखाली में जो अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है, वह किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी के दौरान अधिकारियों पर हुए हमलों की भी निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए दुराचार के विरुद्ध में देश भर में विरोध-प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 MARCH, 2024
DATE OF PUBLISHING: 8 MARCH, 2024

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26